राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्ययक (बजट) सत्र की कार्यवाही

बारहवीं बैठक, बुधवार दिनांक १६ अप्रेल, १६५२.

सभा की बैठक आज तारीख १७ अप्रेल, १९५२ को सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में, ८ बजकर ३५ मिनट पर प्रारंभ हुई। माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) ने आसन ग्रहण किया।

अल्प-काल सूचना प्रश्न

प्रश्न संख्या २२

श्री तेजमल बापना:--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(१) राजस्थान में ऐसे कौन कौन से नगर हैं जिनकी जनसंख्या करीब ३५००० होने पर भी वहां बिजली का प्रबन्ध नहीं है ?

(२) भीलवाड़ा नगर की आबादी ३५००० होने पर भी वहां पर बिजली का पूरा प्रबन्ध नहीं है। वहां करीब चार माह पूर्व बिजली लगी, लेकिन वह केवल रात के ग्यारह बजे तक ही चालू रहती है। बाकी रात भर शहर में अन्धकार रहता है। दिन में भी गरमी के कारण जनता परेशान रहती है। क्या सरकार इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

माननीय श्री भोलानाथ:-राजस्थान में नीचे लिखी जगहों पर सरकारी बिजलीघर है

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर, डीगा, गंगानगर, झालावाड़, झालरापाटन, जैसलमेर, किशनगढ, करोली, कोटा, निवाई, शाहपुरा और टोंक।

राजस्थान में ३५००० अथवा इससे अधिक की जनसंख्या का ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां बिजलीघर नहीं है।

भीलवाड़े में बिजलीघर की तजबीज की जा रही है; बड़ा इन्जन पहुंच गया है; लेकिन मकान की आवश्यकता है इसलिये इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से लिखा पढी की जा रही है। बिल्डिंग मिल जाने पर बिजलीघर प्रारम्भ कर दिया जायगा।

श्री कपिलदेव:--क्या सरकार ३५००० से कम आबादी वाले कस्बों में बिजली देना उचित नहीं समझती ?

माननीय श्री भोलानाथः--सरकार आवश्यकता अवश्य समझती है लेकिन जैसी आवश्यकता होती है उसी मुताबिक वहां बिजलीघर लगाये जाते हैं।

श्री जसवन्तसिंहः--क्या सरकार का ख्याल है कि जहां जहां बिजलीघर हैं वहां उनका काम सन्तोषजनक है ?

माननीय श्री भोलानाथः--सब की स्थिति एक सी नहीं है। कुछ घाटे में रन कर रहे हैं। जहां घाटे में रन कर रहे हैं वहां की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है और उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

श्री जसवन्तसिंहः--घाटे से क्या मतलब है ? सरकार को घाटा हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं; जनता के आराम के लिहाज से ये सन्तोषजनक तरीके से चल रहे हैं या जनता को तकलीफ हो रही हैं ?

माननीय श्री भोलानाथः--माननीय विरोधी दल के नेता जानते हैं कि आज की स्थिति बिजली की एक खास एमिनिटी (सुविधा) है जिसकी आवश्यकता रोजाना पड़ती है। मालूम नहीं आप किस तरह की तकलीफ के बारे में पूछ रहे हैं ? बिजली के कनेक्शन दो तरह के हैं; एक तो लाइटिंग पर्पज के लिए तथा दूसरा पॉवर के काम के लिये। जहां नये कनेक्शन दिये गये हैं वहां पॉवर की तकलीफ ज्यादा है क्योंकि वे पॉवर ज्यादा चाहते हैं। और जहां तक लाइट के कनेक्शन का संबन्ध है वहां पर स्थिति सन्तोषजनक हैं।

श्री जसवन्तसिंहः--क्या सरकार को मालूम है कि इस जमाने में भी बीकानेर जैसे शहर में दो २, तीन २ दिनों तक जनता को पानी नहीं मिलता क्योंकि कूओं में लगी हुई बिजली से चलने वाली मशीनें बिजली फेल हो जाने के कारण काम नहीं कर सकती ?

माननीय श्री भोलानाथः--इसका उत्तर देने के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कपिलदेवः--क्या सरकार बतायगी कि जयपुर बिजलीघर की व्यवस्था से सरकार को सन्तोष है ?

माननीय श्री भोलानाथः--अबतक नहीं; एक महीने में जयपुर बिजलीघर की व्यवस्था ठीक हो जायगी।

श्री रोशनलालः--उदयपुर की जनता को बिजली के सम्बन्ध में जो तकलीफ है उसे दूर करने में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

माननीय श्री भोलानाथः--इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी की आवश्यकता है।

श्री चन्दनमलः--क्या राजस्थान में ऐसा भी कोई बिजलीघर है जिससे सरकार को सन्तोष है ?

माननीय श्री भोलानाथः—इसका स्पष्ट उत्तर ठीक ठीक निश्चित तौर से नहीं दिया जा सकता ।

श्री मानसिंहः—जयपुर के पॉवर हाउस को एक महीने में ठीक करने के लिए क्या नयी योजना है, क्योंकि हम पांच वर्षों से सुनते आरहे हैं कि आज ठीक होगा, कल ठीक होगा । पब्लिक को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है ?

माननीय श्री भोलानाथः—दो नये टरबाइन २५०० किलोवाट के बिठाये जा रहे हैं । आशा है इनके लग जाने से यह तकलीफ दूर होजायगी ।

श्री जसवन्तसिंहः—क्या ये टरबाइन निश्चित समय में फिट कर दिये जायेंगे ?

माननीय श्री भोलानाथः—मैं जब इसका उत्तर दे चुका हूं तो माननीय विरोधी दल के नेता को उससे सन्तोष होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्यः—क्या सरकार नई जगह बिजली घर कायम करने का विचार कर रही है ?

माननीय श्री भोलानाथः—नहीं ।

श्री छोटूसिंहः—क्या सरकार को मालूम है कि जब नये कनेक्शन दिये जाते है तब दफतर में लोगों को छः महीने तक परेशान किया जाता है और गलत तरीके से कनेक्शन शीघ्र मिल जाते हैं ? क्या राजस्थान सरकार इस बात से अवगत है ?

माननीय श्री भोलानाथः—जैसा कि मैंने बताया पावर के कनेक्शन सहूलियत के मुताबिक दिये जाते हैं; लाइट के कनेक्शन देने में मुझे कोई दिक्कत मालूम नहीं देती ।

श्री छोटूसिंहः—सरकार के कर्मचारी कनेक्शन देने के बारे में महीनों तक परेशान करते है । सरकार के पास इसका क्या जवाब है ?

माननीय श्री भोलानाथः—यदि कोई शिकायत सामने आयगी तो उसकी जांच की जायगी ।

श्री माधोसिंहः—क्या माननीय मंत्री बतावेंगे कि अबतक कितने प्राइवेट (owned) इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज सरकार के आधीन आ चुके हैं ?

माननीय श्री भोलानाथः—इस समय तक कितने Private owned Electric Power House सरकार के अधीन आ चुके हैं इसका तो मुझे पूरा पता नहीं लेकिन शाहपुरा, किशनगढ, प्रतापगढ आदि के पावर हाउसेज की ठीक प्रकार व्यवस्था न होने के कारण इन पावर हाउसेज को सरकार न अपने हाथ में ले लिया हैं ।

श्री माधोसिंहः—क्या यह घाटे में चलते हैं ?

माननीय श्री भोलानाथः—घाटे में चलने के कारण ही इनकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी।

श्री जसवन्तसिंहः—क्या पहले व्यवस्था अच्छी थी या अब अच्छी है ?

माननीय श्री भोलानाथः—उनकी अब सन्तोषजनक स्थिति है।

श्री हिम्मतसिंहः—कोटा के पॉवर हाउस में लोड बढ़ गया है। वहां की जनता की आवश्यकता पूरी नहीं होती। ऐसा सुना जाता है कि वहां कोई और तरह से बिजली पैदा करने का इरादा किया जा रहा है। क्या सरकार इस पर प्रकाश डालेगी ?

माननीय श्री भोलानाथः—इस प्रकार की सूचना के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चांदमल मेहताः—क्या किशनगढ़ पॉवर हाउस . . . . .

माननीय अध्यक्षः—मैं एक बात हाउस की जानकारी के लिए बताऊंगा वह यह है कि सप्लीमेन्टरी प्रश्न जो पूछे जावें वे उसी प्रश्न से संबन्धित हों।

श्री कपिलदेवः—अभी माननीय मंत्री ने बताया कि जयपुर में एक महीने में बिजली की दशा ठीक हो जायगी उतने दिनों तक पब्लिक को जो तकलीफ अक्सर पांच २, सात २ या दस २ मिनिट बाद बिजली बन्द होने से होती रहेगी उसके लिये क्या कोई इन्तजाम किया जा रहा है ?

माननीय श्री भोलानाथः—यह इस प्रकार का सवाल है जिसका जवाब देना कठिन है। यदि यह असन्तोष नहीं होता तो ढाई हजार किलोवाट का नया टरबाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। कमी को दूर करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है।

श्री सन्तोषसिंहः—क्या सरकार एग्रिकलचरल ट्रेक्टरों के लिए कनेक्शन देगी ? उसकी क्या रेट होगी ?

माननीय श्री भोलानाथः—इस प्रश्न से इसका कोई संबन्ध नहीं है।

श्री तेजमल बापनाः—जयपुर के लिए एक महीने की अवधि है तो भीलवाड़ा के लिए कितनी अवधि देते हैं ?

माननीय श्री भोलानाथः—भीलवाड़ा के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं।

श्री चान्दमल मेहता:—क्या सरकार बतलायगी कि किशनगढ़ के पावर हाउस को सरकार के अधिकार में लेने के बाद वहां की स्थिति संतोषजनक है? यदि नहीं हैं तो उसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

माननीय श्री भोलानाथ:—पावर हाउस, किशनगढ के बारे में जब सवाल आयगा तो उत्तर दिया जायगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया:—क्या हरिजन बस्तियों में भी बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं ?

माननीय श्री भोलानाथ:—ऐसे सवालों के लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष:—ऐसे ही सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो मूल प्रश्न से संबन्धित हों ।

श्री हरिदेव जोशी:—सप्लीमेन्टरी सवाल कब तक पूछें जा सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य:—इसके लिए कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं ।

प्रश्न संख्या २३

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौकड़ी तोपखाना देश जयपुर स्थित गन्दी मोरी नाम का दरवाजा करीब ढाई वर्ष से बहुत ही जीर्ण हालत में है । यहां तक कि निकलने का रास्ता भी साफ नहीं है । क्या सरकार उसे सुधारने के लिए कोई कदम उठा रही है ? क्या आप बतलाने का कष्ट करेंगे कि अब तक इस संबन्ध में कदम क्यों नहीं उठाया गया ?

माननीय श्री भोलानाथ:—म्युनिसिपल कौन्सिल, जयपुर, का प्रस्ताव गन्दी मोरी की रिपेयर्स के लिये चीफ इन्जीनियर, बिल्डिंग एन्ड रोड्स, के पास १-९-५१ को पहुंचा । गिरे हुए सिटी वाल के हिस्से को ठीक करने का एस्टिमेट १३,२६२) रुपये का बनाया गया था, लेकिन यह बहुत अधिक था इसलिये असिस्टेन्ट इन्जीनियर को ऑल्टर्नेटिव एस्टीमेट, टूटे हुए हिस्से ी मरम्मत के लिए, बनाने का कहा गया । अब जो ऑल्टर्नेटिव एस्टिमेट बनाया गया है वह ३,६५५ रुपये का है और यह काम अगले मानसून से पहले कर दिया जायगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । क्या उसके लिए कोई एक्शन लिया जायगा ?

माननीय श्री भोलानाथ:—हां अवश्य लिया जायगा ।

श्री कपिलदेव:—क्या सरकार गन्दी मोरी का नाम बदलने का विचार कर रही है ?

माननीय श्री भोलानाथः–अभी इस संबन्ध में कोई विचार नहीं किया गया है। यदि इसके बारे में कोई सवाल आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः–क्या यह गन्दी मोरी नाम से ही है या इसके हालात भी गन्दे ही हैं ?

माननीय श्री भोलानाथः–जब से जयपुर बना है तभी से यह इसी नाम से प्रसिद्ध है। जब आप चाहेंगे तो इसका नाम बदला जा सकता है।

एक माननीय सदस्यः–क्या ज्यादा रकम होने पर इस तरह के एस्टिमेट रिवाइज हो सकते हैं ?

माननीय श्री भोलानाथः--पहले पूरे दीवार को ठीक कराने का एस्टीमेट कराया गया था। बाद में दुबारा एस्टीमेट सिर्फ गिरे हुए हिस्से को ठीक कराने का कराया गया था।

एक माननीय सदस्यः–पहले एस्टिमेट व दूसरे एस्टिमेट जो बने हैं उनकी तारीखें बता सकते हैं ?

माननीय श्री भोलानाथः--यह मुश्किल बात है। मैं ठीक तरह से तारीखें नहीं बता सकता कि म्युनिसिपल कौन्सिल ने यह प्रस्ताव कब पास किया। यह सूचना मेरे पास नहीं है।

अनुदानों के लिये अभियाचनाओं पर मतदान
अनुदान संख्या १३, मेजर हैड २९-पुलिस

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--Speaker Sir, I move that a sum not exceeding Rs. 2,80,00,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XIII, Major Head 29—Police.

माननीय अध्यक्ष–Motion moved that a sum not exceeding Rs. 2,80,00,000 be granted to H. H. the Rajpramuk to defray the charges which will come in course payment during the year ending 31st day of March, 1953 in respect of grant No. XIII, Major Head 29—Police.

श्री लालसिंह शक्तावतः–अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव नम्बर १ को विदड्रा करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः–देयर आर टू सब्सटेन्शियल कट मोशन्स········

श्री लालसिंह शक्तावत–मेरे जो दोनों ही कट मोशन्स हैं उनको विदड्रा करना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना दोनों ही कट-मोशन्स विदड्रा करने के लिए है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, विद्ड्रा करने का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिये कि यह मूव ही नहीं करना चाहते ।

श्री जसवन्तसिंह:–ये मूव ही नहीं करना चाहते ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–मूवर ऑफ कट मोशन नंबर टू इज नोट प्रेजेन्ट

श्री भैरूसिंह:--मेरा कटौती प्रस्ताव नं० ९ इस प्रकार है ।

That the demand under the Head "Police" (f) (1), Page 84 Criminal Investigation Department be reduced by one half of the fixed amount (misuse of the Department).

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–ओन दी पोइन्ट ऑफ ऑडर, सर इट सीम्स देट कटमोशन नम्बर फोर हेज स्लिप्ड अवे इन फेवर ऑफ नं० ९.

श्री जसवन्तसिंह:–आइ डोन्ट नो........

Shri Gulab Chand Kasliwal—Mr. Speaker Sir, Under the Proviso to rule 136 the Maximum cut should come first and, therefore, this Cut Motion No. 9 is quite in order and should have priority over others.

माननीय अध्यक्ष:--Yes, then Shri Bhaironsingh to move his cut Motion No. 9.

श्री भैरुसिंह:--माननीय अध्यक्ष, यह पुलिस डिपार्टमेन्ट राजस्थान के एकीकरण के पूर्व डकैतों को पकड़ने और अराजकता फैलाने वालों को पकड़ने से सीधा संबन्ध रखता था लेकिन राजस्थान के एकीकरण के पश्चात यह डिपार्टमेन्ट इन कामों से मुक्त होकर कांग्रेसी सरकार के जमाने में जो शासन में कमियां आई उन कमियों को दूर करने के लिए और जो राजनैतिक नेता जनता में कांग्रेसियों की बेजा हरकतों को रोकने के लिए आवाज बुलन्द करते हैं, प्रचार करते हैं और जो जनता की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं उनकी आवाज को बन्द करने के लिए तथा उनको पकड़ने के काम में लाया जा रहा है । इस डिपार्टमेन्ट का महान कर्तव्य यह है कि जो अराजकता इस समय राजस्थान में फैली हुई है उसको बन्द करने में अपना पूरा पूरा सहयोग सरकार को दे । मगर इस समय सरकार को, अराजकता को रोकने में मदद देने के बजाय यह विभाग उन लोगों के पीछे लगा हुआ है जो जनता की सेवा करने में तत्पर है । मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में सी० आई० डी० विभाग सिर्फ इस बात के लिये रखा गया है कि जहां पोलिटिकल (राजनैतिक) सभायें हों, जिस

जगह की स्पीचें लाने का उन्हें ऑर्डर हो या दूसरी कोई वहां की बात हो उसे लाने में लगा रहे। कहने का मतलब यह कि या तो वे रिश्वत लेने में या मिटिंगों के नोट लेने में सरकार की सहायता करते हैं; उसके आलावा कोई कार्य नहीं करते। यदि इसके अलावा उनका कोई कार्य होता तो आप बताते कि आज तक सी० आई० डी० द्वारा कितनी डकैतियों के संबन्ध में डाकुओं की गिरफ्तारियां हुई। इनका उपयोग कांग्रेस विरोधी आंदोलन को दबाने के कार्य में लिया जाता है। इस डिपार्टमेन्ट पर ३,५१,००० रुपये का खर्चा होता है। इस से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कितना रुपया वेस्ट जाता है। यदि इसी रुपये को राजस्थान के किन्हीं दूसरे कामों में लगाया जावे तो काफी फायदा हो सकता है।

यह डिपार्टमेन्ट, मैं यह अर्ज करूंगा कि खासतौर से उन लोगों के विरुद्ध काम कर रहा है जो कांग्रेस के विरोध में अच्छी तरह प्रचार करते हैं और जनता की दबी हुई आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अभी तक इस विभाग के द्वारा किसी एक भी डाकू की गिरफ्तारी नहीं हुई और न उनके संबन्ध में पूरी इत्तिला ही मिल सकती है, यदि कभी इस संबन्ध में इत्तिला मिलती भी है तो वह फैक्टस पर नहीं होती; यों ही हुआ करती है। इसका खास काम जैसा मैंने कहा उन लोगों को दबाने का होता है जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस डिपार्टमेन्ट में बहुत करप्शन फैला हुआ है। लोग यह कहने लग गये हैं कि रिश्वत लेने वालों में यह सी० आई डी० विभाग भी कम नहीं है। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा जब कि सी० आई० डी० को देश में फैली हुई अराजकता को मिटाने के लिये काम में नहीं लिया जा रहा है तो इस विभाग पर इतनी बड़ी रकम खर्च करना बिल्कुल फिजूल है। मैं चाहता हूं कि यदि इस डिपार्टमेन्ट को उसी कार्य में लिया जावे जिसके लिये इस डिपार्टमेन्ट को बनाया गया है तो ज्यादा फायदा होगा। इसीलिये मेरा यह प्रस्ताव है। मेरा दूसरा कट मोशन नम्बर ११ जो है वह इस प्रकार है:-

That the demand under the head 'Police' (f) (II), Anti-Corruption Branch, Page 55, be reduced by Re. 1/— (the small amount fixed for it can serve no purpose to check the alround prevailing corruption).

श्री कपिलदेव:-देट सेकिन्ड मोशन हेज नोट बीन मूव्ड सर। नम्बर ११ हेज नोट बीन मूव्ड सर।

माननीय अध्यक्ष:-आपने तो पहला ही मोशन मूव किया है।

श्री भैरुसिंह:-जी हां।

माननीय अध्यक्ष:-देन कन्फाइन टू देट मोशन ओन्ली।

श्री मानसिंह:–अध्यक्ष महोदय, सी० आई० डी० के० मुतल्लिक जो कट मोशन सदन के सामने है इसके लिये मुझे भी एक दो खास बातें, आपके द्वारा, इस सदन को विवेदन करनी हैं । इस डिपार्टमेन्ट को अगर देखा जावे तो इसमें आप एक नई चीज पावेंगे । वह यह है कि एस० पी०, ए० आइ० जी० का काम करते हैं । नाम तो है उसका ए० आई० जी० मगर एस० पी० के ग्रेड का ही आदमी है और इसके नीचे दो एस० पी० काम करते हैं । न मालूम उनका क्या दुर्भाग्य है कि उनको एक दूसरे एस० पी० के नीचे काम करना पड़ता है । सब जगह एस० पी०, डी० आई० जी० के नीचे काम करते हैं और डी० आई० जी० उनके काम का जिम्मेवार होता है । मगर इस विभाग में एक एस० पी० के नीचे दो सीनीयर एस०पी० मातहत की तरह से काम करते हैं । दूसरी बात यह कहनी है कि इस विभाग को इसलिये रक्खा जाता है कि जिस ओफिसर पर सरकार की कड़ी निगाह हो जाती है उसको इस विभाग में फेंक दिया जाता है । इसके अलावा इस महकमें में पुलिस के जिन अफसरों को अधिकारी लेना चाहते हैं; प्रोवाइड करने की गुंजाइश भी होती है ।मैं इस संबन्ध में मिसाल रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मित्र इस पर ध्यान देंगे । इस डिपार्टमेंट में पहले एक महता नाम के ओफिसर थे । वे मेहता साहब पहले ही रिटायर्ड थे और जब उनकी टर्म एक्सपायर हो गई तो रिटायर्ड कर दिये गये । रिटायर्ड होने के बाद भी वे चार महीने यहीं जयपुर में रुके रहे और हर प्रकार से पुनः नौकरी की कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरह उन्हें प्रोवाइड किया जावे । चार महीनों के बाद वे दिल्ली से कोई सिफारिश लेकर आये और उनको सुप्रिन्टेन्डेन्ट इन्चार्ज पेंशन्स मुकर्रर कर दिया गया । आप सोचिये कि पुलिस में पेन्शन्स का इतना क्या काम है कि एक सुप्रिन्टेन्डेन्ट काम करे । इसके अलावा यदि आप जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आज तक उन्होंने ५० कागजों से ज्यादा पर दस्तखत नहीं किये हैं । यदि आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं । इस प्रकार इस डिपार्टमेंट पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह सब कूए में डाला जा रहा है । यदि यही पैसा एन्टी–डेकोइट फोर्स पर या किसी दूसरे कामों में लगाया जावे तो हमारी राय में काफी उन्नति हो सकती है ।

माननीय अध्यक्ष:–एनी बडी ?

नो बडी वान्टस टू डिसकस दी मेटर ।

श्री मथुरादास माथुर:–अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो कट मोशन उपस्थित किया गया है उसके विरोध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । आज सदन के सभी सदस्य यह महसूस करते हैं कि राजस्थान में कुछ महीनों से अराजकता फैली हुई है और अनेकों डकैतियां राजस्थान के कुछ इलाकों में करीब २ हर रोज सुनने में आती हैं । इस ओर इस सदन के अन्दर बैठने वालों का ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी राजस्थान के रहने वाले सभी निवासियों का ध्यान इस और आकर्षित होता रहा है ।आज इस सदन के सभी सदस्य इस बात के इच्छुक हैं कि राजस्थान में अराजकता बन्द हो और राजस्थान के नाम पर किसी तरह का काला दाग नहीं लगे । जब इस सदन के सामने बजट पर जनरल बहस हो रही थी उस वक्त भी मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को अर्ज किया था कि सदन के सभी सदस्य यह चाहते हैं कि राजस्थान में अराजकता और डकैतियां बन्द

हों । इनको बन्द करने के लिए अगर उन्हें कुछ ज्यादा पैसे की, कुछ ज्यादा धन की जरूरत हो तो वे दूसरे सीगों में से निकाल कर कुछ महीनों के लिए इस बजट में उस धनराशि को जोड़ सकते हैं। मगर हम यह चाहते हैं कि अराजकता किसी न किसी तरह से बन्द होनी चाहिए । जनता का सरकार पर विश्वास तभी हो सकता है, प्रजातन्त्र के ऊपर लोगों की धारणा तभी पैदा हो सकती है जब कि प्रजातंत्र पर बनी हुई पहली सरकार, वहां के रहने वाले सभी वासिंदगान के अमन चैन के लिए पूरा इन्तजाम करे । आज विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों की तरफ से इस तरह का कटमोशन सदन के सामने पेश हुआ है जिस पर उन्होंने यह मांग की है कि जो आंकड़े इस हैड में मंजूर करने के लिए प्रस्ताव में पेश किए गए हैं उनको आधा कर दिया जाय । अगर पुलिस डिपार्टमेन्ट का खर्चा आधा कर दिया गया तो इसके मायने यह हुए कि हमको पुलिस नफरी कम करनी होगी, इसके मायने यह हुए कि जो साधन पुलिस को चाहिए, जिसकी शिकायत सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी बड़े २ एक्सपर्ट एडवाईजरों ने अपने लेखों के रूप में लिखी है, वह नही प्राप्त हो सकेंगे । आज विरोधी दल की तरफ से ही कई महानुभावों ने भाषण दिए हैं, और राजप्रमुख के अभिभाषण के सम्बन्ध में कहते हुए यह कहा था कि राजस्थान के थानों में नफरी यानी पुलिस कांस्टेबिल जो रखे जाते हैं वह हिन्दुस्तान के किसी थाने से ज्यादा नहीं है बल्कि बहुत कम हैं ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी: I would submit for your consideration whether the Hon' ble Member is within his rights while making a speech on this Cut Motion moved by Shri Bhairon Singh. That being so, my humble submission is, subject to your approval, that my learned friend is not in order in making his speech. I want to seek your Ruling on the point.

Hon'ble Speaker:—The Hon'ble Member should speak on the Cut Motion and should confine himself on the subject matter.

श्री मथुरादास माथुर:—माननीय अध्यक्ष में इसी कटमोशन के सम्बन्ध में और खास तौर पर सी० आई० डी० डिपार्टमेंट के खर्चे में कमी के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसी के ऊपर आ ही रहा था । माननीय सदस्य अगर कुछ सब्र रखते तो उन्हें आपत्ति की आवश्यकता नहीं होती । मैं यह अर्ज कर रहा था कि पुलिस के महकमे के सब सीगों में कटौती के बजाय और रुपया मांगे । यह चीज महसूस की जा रही है कि कुछ ज्यादा पैसा दिया जाय जिससे कि इन्तजाम अच्छा हो सके । मगर मैं सीधा कटमोशन के सम्बन्ध में और खास तौर पर सी० आई०डी० के सम्बन्ध में जो राय आज इस सदन में सदस्यों ने इस कटौती के प्रस्ताव को रखते हुए कही है कि आज कल सी० आई० डी० डिपार्टमेंट सिर्फ राजनीनिक मीटिंगों में, राजनैतिक प्रदर्शनों में या उनसे सम्बन्ध रखने वाली सभाओं में ही प्रस्तुत होते हैं, मौजद रहते हैं और कुछ कार्य नहीं करते । मेरा ख्याल है कि यह उनका आज तक का तजुर्बा है। यह भी सी० आई० डी० का काम है । जो सभाएं हों उनमें जो राजनैतिक

भाषण जिस तरह के हों उनकी सरकार को वक्तन फवक्तन इत्तला प्राप्त होनी चाहिए। यह राजस्थान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में होता है मगर यह नहीं कहा जा सकता कि वे दूसरे कार्य कत्तई नहीं करते हैं। वह दूसरे कार्य भी करते हैं और मैं तो यह महसूस करता हूं कि सी० आई० डी० जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी मजबूत नहीं है। सी० आई० डी० डिपार्टमेंट के पास में जिस तरह के साधन होने चाहिए, नहीं है। अगर आप यह चाहते हैं कि हमारा सी० आई० डी० विभाग हमारे सी० आई० डी० के अफसरान और सी० आई० डी० के मुलाजमान इस तरह की सेवायें जनता के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए, डकैतों को पकड़ने के लिए, अराजकता जो फैली हुई है उसको कम करने के लिए, पुलिस के दूसरे विभागों को मदद दें तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सी० आई० डी० को मजबूत किया जाय, उनको नये २ साधन दिए जायं, नये यंत्र दिए जायं। आज अगर आप इस खर्चे को आधा कर देंगे तो, जिस तरह कि कटौती प्रस्ताव में बताया गया है तो इसके मायने यह होंगे कि जो कुछ भी आज हमारी इस छोटी सी रियासत में सी० आई० डी० का महकमा सेवाएं कर रहा है वह उससे कत्तई वंचित हो जायगा। और जो तकलीफात जैसे कि हमारे सदन के सदस्यों ने, जो इस कटौती प्रस्ताव को रखना चाहते हैं, बताई हैं उनका उद्देश्य कत्तई पूरा नहीं होगा।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सी० आई० डी० डिपार्टमेंट के खर्चे के अन्दर कोई कटौती नहीं की जाय और इसके साथ २ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि जो कुछ पैसा इस विभाग को खर्च करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए देते हैं तो उसका पूरा इंतजाम रखा जाय कि उसमें इस तरह की बातें नहीं हों। यह तो केवल मंत्रीजी ही बतला सकते हैं कि सदन में सदस्यों ने जो बातें उठाई हैं, किसी व्यक्तिगत ऑफिसर के लिए वह कहां तक ठीक है। अगर इस तरह की बातें सच हैं तो उसे रोकने की कृपा करें।

श्री कानसिंह:—अध्यक्ष महोदय, अभी जो कट मोशन हमारे सामने हैं और जो सरकार की तरफ से, सरकार की पार्टी के महानुभावों ने जो हालात हमारे सामने बयान किये हैं कि जहां २ सभायें होती है या जहां मीटिंग्स होती है वहां सारे ही संसार में और सारे ही देशों में उनकी प्रोसिडिंग्ज लिखने के लिए इस प्रकार का सी० आई० डी० का महकमा कायम रहता है, सही नहीं हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सी० आई० डी० का महकमा हमारे देश में उस वक्त जरूरी था जब कि हमारे देश की सरकार एक विदेशी सरकार थी। उस सरकार को इस बात को जानने की जरूरत थी कि उस सरकार के विरुद्ध कौन २ कौन हैं? वह सरकार जो एक विदेशी सरकार थी, उस सरकार के विरोध में कौन २ से ऐसे दल है ऐसे आदमी हैं, जो सरकार के विरोध में कार्यवाही कर रहे हैं या पार्टी—बन्दी कर रहे हैं, या अन्दोलन कर रहे हैं, या उनके खिलाफ चल रहे हैं? लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि अब जो सरकार है वह कोई विदेशी सरकार नहीं हैं, वह सरकार

हमारे देश की है और उस सरकार को हमारे देशवासियों के लिये किसी प्रकार का यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि वे किसी तरह से सरकार को हमारे इस स्वराज्य को जो हमें प्राप्त हुआ है उसको फेंकनें की कोशिश करेंगे । साधारण चोरों और डाकुओं को रोकने के लिए साधारण पुलिस के लिए काफी तादाद में इस बजट में रकम प्रोवाइड की हुई है । इसलिए जब सरकार हमारी देशी सरकार है तो उसको ऐसे महकमे की अब कतई जरूरत नहीं होनी चाहिए । अगर सरकार ठीक रास्ते पर चल रही है तो मेरे ख्याल में किसी से डरने की कत्तई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ।

अब रहा कि अलग २ पार्टियां, अलग २ दल अगर राजनैतिक विचारों से अपना २ संगठन करते हैं तो जैसा कि सरकार का दल है, जैसा कि कांग्रेस का दल है तथा दूसरे दलों को संगठन करने का पूरा अधिकार है; अगर उन दलों को दबाने के लिए ही यह सी० आई० डी० प्रोसिडिंग्स लेते हैं और सी० आई० डी० महकमे के जरिये हालत मालूम होते रहते हैं कि कौन २ से व्यक्ति ऐसे हैं जो कांग्रेस दल के खिलाफ हैं तो रिपोर्टों को उस तरीके से लेकर और उन पर किसी प्रकार के जुर्म फ्रेम करके इस बहाने से उन पर दबाव डाला जाय, उनको ऐसे तरीकों से दवाया जाय तो मेरा ख्याल है कि सी० आई० डी० का महकमा रखने की कतई आवश्यकता नहीं है और न इतनी रकम की जरूरत है । मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकार इस पर गौर करेगी ।

श्री भवानीसहाय--अध्यक्ष महोदय, अभी यह बहस चल रही है कि सी० आई० डी० डिपार्टमेन्ट आवश्यक है या नहीं । विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने इस पर भाषण दिए हैं । इस विषय में सदन के सामने यह अर्ज कर देना आवश्यक है कि सी० आई० डी० डिपार्टमेन्ट को इसलिए नहीं रखा जाता है कि किसी विरोधी दल को दबाया जाय और न वह इसलिए रखा जाता है कि किसी खास व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए उससे कोई सुविधा मिले । ऐसा कहा जा रहा है, इसलिये इस कटौती पर, जो रखी गई है मुझे कुछ कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि किस प्रकार से भारत सरकार में पहले अंग्रेजी जमाने में, सी० आई० डी० डिपार्टमेन्ट कितने जोरों पर काम करता था । मैं तो यहां तक बतला दूं कि उस वक्त एक सी० आई० डी० के कर्मचारी को इतना पता होता था कि फलां टेरोरिस्ट किस जगह पर छुपा हुआ है वह यह भी बता सकता था कि आज उसने कहां खाया है और एक २ व्यक्ति के साथ दो २ सी० आई० डी० रहते थे । लेकिन हम कांग्रेसी उनसे घबराये नहीं । आज अमन के जमाने में तो किसी दल को घबराना नहीं चाहिए । मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं रेग्युलेशन three of 1818 के मातहत सात साल तक जैल में नजर वन्द रहा हूं और मुझे अनुभव है कि योग्य सी० आई० डी० किसी जगह नहीं होती है तो वह छानबीन नहीं कर सकती है और मुझे कहते हुए गौरव होता है कि सी० आई० डी० यदि अच्छी नहीं हो तो राज काज की व्यवस्था भी अच्छी नहीं रह सकती है । जब एक तरफ से विरोधी दल यह कहता है कि राज्य का कार्य ठीक

ठीक नहीं चलता है, राज्य के कार्य में रिश्वतें चलती है और राज्य के कार्य में बहुत सी बातें ऐसी होती है जिसका कि वे विरोध करते हैं । लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह बिलकुल आधा कटौती का प्रस्ताव यानी जितना रुपया उसके लिए सरकार ने चाहा है उसमें आधी कमी कर दी जाय और वह कमी भी इतनी कर दी जाय जिससे कि हम यह भी नहीं जान सकें कि भारतवर्ष में किस जगह क्या हो रहा है, क्यों लाया गया ?

एक निवेदन इसके बाद मैं और कर देना चाहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो छुपे रूप से चला करती हैं, जिसको कोई भी पुलिस नहीं मालूम कर सकती है । मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि सी० आई० डी० डिपार्टमेन्ट ही इसकी अच्छी तरह से सूचना दे सकता है और राज्य के मंत्रियों के हाथ मजबूत कर सकता है; यदि वास्तव में वह सी० आई० डी० डिपार्टमेन्ट है तो । मेरा तो यहा तक कहना है कि जिस वक्त अंग्रेजों की नाक में दम हिन्दुस्तान के टेरोरिस्ट मूवमेंट ने कर दी थी, जिस वक्त भगतसिंह ने यह बतला दिया था कि भारत सरकार जिस तरीके से चल रही है वह हमें नापसन्द है, और हम उन अंग्रेजों को नहीं रहने देना चाहते हैं तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि उस जमाने में स्काटलैंडयार्ड के दो व्यक्ति जो प्रमुख और अधिक अच्छे थे, उनको यहां लाया गया लेकिन मुझे निहायत अदब के साथ यह कह देना पड़ता है कि हिन्दुस्तान के टैरोरिस्टो ने स्काटलैंडयार्ड के व्यक्तियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया । फिर आप क्यों परेशान हैं यदि विरोध करने वाले यह सोचें कि सी० आई० डी० किसी खास दल को दबाने के लिए रखा जाता है तो मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसके पीछे राज्य के या कांग्रेस के उन माननीय सदस्यों की कोई बुरी नीयत नहीं है ।

उसके बाद मेरा तो यह निवेदन है कि इस प्रकार से जो भारी कटमोशन आया है वह नहीं आना चाहिये था बल्कि यह होना चाहिए था कि इस डिपार्टमेन्ट को मजबूत बनाया जाय मेरा यह मतलब नहीं है कि किसी दल के हाथों में सौंप दिया जाय। हमें और हमारी जिन्दगी को । विरोधी दल के नेता, और माननीय सदस्यों को खामोखाह शक नहीं करना चाहिए । लेकिन सवाल यह है, कि ऐसा डिपार्टमेन्ट बनाया जाना चाहिये जैसा कि "स्काटलैंडयार्ड", जो कि बहुत मशहूर दूसरे मुल्कों में बना हुआ है; उसके बराबर हो, और हमको गौरव होना चाहिए, इस सदन को गौरव होना चाहिए कि यहां भी ऐसा स्काटलैंडयार्ड का सा विभाग तैयार हो जाये, कि जो किसी जगह भी रिश्वत नहीं लेने देगा और किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य नहीं करने देगा जो कि देश के हित में नहीं हो, या उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हुआ है । अगर हम इस भावना को लेकर चलेंगे तो इस सदन का भला होगा, जनता का भी भला हो सकता है. अन्यथा नहीं ।

श्री माधोसिंह:--माननीय अध्यक्ष, मेरा विचार इस पर बोलने का नहीं था परन्तु मुझे कुछ ऐसी सम्भावना मालूम हुई है कि इस डिपार्टमेन्ट पर जो कट मोशन आया है वह मिसयुज के लिए है । उसके बारे में मैं आपके द्वारा सदन

और सरकार को इस बात की जानकारी कराना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेन्ट के अन्दर जो कटमोशन मिसयुज के कामों के लिये लाया गया है और जिस पर हमारी पार्टी, हमारे दल के व्यक्तियों का आक्षेप है। यह कटमोशन इस डिपार्टमेन्ट में मिसयूज नहीं होने देने के लिए है। इस डिपार्टमेन्ट को सुरक्षित रूप से रखने के लिए मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी जिम्मेदारी का डिपार्टमेन्ट होशियारी से अपने हाथों में रखे जिससे इसका मिसयूज होने की सम्भावना न हो। यदि माननीय मंत्रीजी इस विभाग को अपने ही हाथों में होशियारी से रखेंगे और इसका सदुपयोग होगा और किसी के हाथों में नहीं जाने देंगे तो शायद हमको विश्वास हो सकता है कि इसका सदुपयोग ही होगा।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, सी.आई.डी. विभाग के कार्य के बारे में शिकायतें करते हुए माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव रखा है। उनको शिकायतें हैं कि सी.आई.डी. विभाग का दुरुपयोग किया जाता है। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने कि प्रस्ताव रखा है एक आम बात कह डाली कि सी.आई.डी. का दुरूपयोग होता है और कह डाला कि इसका दुरूपयोग किया जाता है उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के या उन राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो कांग्रेस के विरुद्ध हैं। यह एक आम सी बात कह दी है जिसकी न कोई तफसील दी है और न कोई उदाहरण ही दिया है। यह एक दुरूपयोग की बात है। मेरी जानकारी में एक भी इंस्टांस (उदाहरण) ऐसा नहीं बताया जा सकता है, मैं समझता हुं, जिसमें कि सी.आई.डी विभाग का इस प्रकार से दुरुपयोग किया गया हो. और, अध्यक्ष महोदय, जो काम सी.आई.डी. डिपार्टमेंट कर रहा है या उसने किया है, मैं जानता हूं कि हमारा सी.आई.डी. विभाग इतना मजबूत नहीं है जितना कि होना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ उपयोगी काम किए हैं और उन उपयोगी कामों की मैं थोड़ी बहुत तफसील बताने लगूं तो शायद माननीय सदस्य यह मानेंगे कि जो दोषारोपण किया गया है वह सही नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सी.आई.डी. विभाग का कार्य अधिकतर इन दिनों में चोरों डाकुओं को खोजने का, उनको पकड़ने का रहा है, इसको वह करता रहा है। यह मैं मानता हूं कि इत्तफाक से चोरों में, डाकुओं में, उनके सहयोगियों में कांग्रेस के विरोधी ही हैं। लेकिन उनको केवल इसलिए नहीं छोड दिया जा सकता है कि वे कांग्रेस के विरोधी हैं। और ऐसा होता है, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल जनरल बातें ही नहीं कहता हूं। अभी ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं जिन्हें मैं बताना नहीं चाहता हूं।

लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पिछले दिनों आप सबने सुना होगा, : पिछले दिनों आप माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि बहुत से कांड होते रहे हैं, डकैतियां और चोरियां भी होती रही हैं और उनमें से एक अपहरण का भी केस था। एक सोमानी नवयुवक का अपहरण किया गया था। इस अपहरण से संबंधित कुछ अपराधियों को पकडा गया। उसकी छान बीन की जा रहीं है। यह सी.आई.डी. का ही काम था कि इस बात को भी खोज निकाला और इस अपहरण में एक बड़े जागीरदार का हाथ था। सी.आई.डी. की सहायता

से ही सरकार ने उस जागीरदार को पकड़ा है और आज वह डिटेन्शन में है। हमारे पास प्रमाण है कि वह जागीरदार, उनके भाई और कुछ और आदमियों ने साजिश कर के उस लड़के को उड़ाया और लंपसम रकम देकर उसको छुड़ाया। साधारण पुलिस इस प्रकार की खोज, बड़े जागीरदार के गढ़ में होने वाले रहस्य की खोज, नहीं कर सकती थी। चुपचाप, युक्ति से, कुशलता से सी. आई. डी. ने इस रहस्य को खोज निकाला। और भी कई प्रकार की ऐसी घटनाऐं हैं जिनको समय से पूर्व प्रगट करना उचित नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस अफसरों ने एक भयंकर डाकू को पकड़ा है। उसके एक साथी ने उसके मारे जाने का हाल बतलाया है और उस हाल के दौरान में उसने यह बताया और उससे मुझे बहुतसी बातें मालूम हुई। मैं नहीं कहता कि किसी वर्ग विशेष के लोग इसमें हैं। और भी कई लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं में भाग लेते है। साधारण लोगों को खोज निकालने का काम साधारण पुलिस कर सकती है लेकिन जिनको विशष सुविधा है, जिनका विशेष प्रभाव है उनकी खोज करना साधारण पुलिस का काम नहीं है।

श्री मानसिंह:-पाइन्ट आफ इनफोरमेशन, सर। क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूं कि सी.आई. विभाग विरोधीदल के आदमियों के लिये ही ऐसा काम नहीं करेगा बल्कि अन्य लोग भी जो ऐसा कार्य करेंगे उन्हें भी ऐसी कार्यवाही करने के अपराध में खोज निकालने की कोशिश करेगा।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--अवश्य, चाहे कोई भी हो। सी. आई. डी. पुलिस किसी की रियायत नहीं करेगी। अब तक की जानकारी के आधार पर आपको बतलाया है इससे यदि भिन्न बातें भी सामने आयेंगी तो वे भी बतायी जायंगी। मैं निवेदन कर रहा था कि एक भयंकर डाकू को पकड़े जाने की सूचना मिली है और उन्होंने बतलाया कि उनकी सहायता में कई विशिष्ट वर्ग के चार पांच आदमियों का हाथ है और इसके संबन्ध में पुलिस की रिपोर्ट सामने आयेगीं और भी कई चीजें ऐसी ऐसी हैं जिनके बारे में मैं यह नहीं कहता कि इसमें कौन कौन है। लेकिन इसमें जितने भी श्रेणी के लोग हैं उनको खोज निकालना पुलिस का काम है: इसमें सी आई.डी. मदद करेगी। बहुत से स्थानों में तो सी.आई.डी. के वगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं यह कह सकता हूं कि सी.आई.डी. ने जो काम किया वह उपयोगी है। उसमें से थोड़ा आपके सामने भी आया है। मैं समझता हूं और भी सफलता सामने आयेगी और कई रहस्यों का उद्‌घाटन होगा तो माननीय सदस्य यह मानेंगे कि सी.आई.डी. दर असल में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जब स्ट्रेन्थ पहले से ही कम होगी तो जनता का अधिक से हित हो सकेगा; जितना होना चाहिये। मैं मानता हूं कि पुलिस जितनी पूर्ण होनी चाहिये उतनी नहीं हैं। यदि उतनी पूर्ण होती तो सचमुच उन चोरों–डाकुओं की बात ताअलग, जो केवल चोरी और डाके के आश्रित अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास और भी सामान और सुविधायें हैं फिर भी इसमें लगे रहतें हैं ऐसे लोगों पर शक नहीं मालूम होता है, उनको सी.आई.डी. बहुत पहले ही सामने ला चुकी होती। यदि स्ट्रेन्थ पूरी होती तो साधन सम्पन्न और प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं, उनके विषय में तथ्य मालूम कर लेती। फिर भी वे काफी ऐसा काम करते हैं मैं यह भी कह दूं कि चोर डाकुओं की कोई जायदाद

नहीं होती लूट खसोट और मारपीट पर ही वे लगे रहते हैं; लेकिन जो साधन वाले लोग हैं ऐसे जो काम में लगे हुए हैं उनको भी खोज निकालना संभव होना चाहिये। लेकिन यह पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। फिर भी कुछ लोगों की खोज की है। हमारी सी.आई. डी. पूर्ण रुप से ताकतवर नहीं है जितनी होनी चाहिये; जो पहल से ही कम है और उसकी स्ट्रेन्थ में और कमी करने में माननीय सदस्य का क्या उद्देश्य है, मैं नहीं जानता क्या इससे वे किसी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा इस बात को माननीय सदस्य मन से निकाल दें कि सी.आई.डी. राजनैतिक क्रोध को निकालने के या विरोध को दबाने के लिए काम में लगाई जाती है। न तो कांग्रेस ने कभी इस प्रकार का काम किया है न कभी करेगी। इस तरह की कांग्रेस की कभी परंपरा नहीं रही है और न आगे रहेगी। और न यह बात होने ही दी जायगी कि, वे, कांग्रेस के विरोधी हैं इसलिये गड़बड़ करते रहें। यह फूट उनको नहीं मिलेगी। यह मैंने थोड़े में उस बात का उत्तर दिया है; जिस मूल तह लेकर माननीय सदस्य ने कट मोशन पेश किया है। कुछ सदस्यों ने और भी प्रश्न उठाये हैं उनका स्पष्टीकरण करता तो ज्यादा अच्छा रहता।

अभी कहा गया कि एक एस० पी० के नीचे दो एस० पी०, असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डन्ट की तरह काम करते हैं, यह असन्तोषजनक बात है जब की दूसरी, ए. स्टेट्स में सी० आई० डी० का काम डी० आई० जी० की हैसियत का आदमी करता है। राजस्थान में घाटा रहता है इसलिये हमने एक ए० आई० जी० की हैसियत के आदमी के जिम्मे यह काम दिया है एस० पी० वगैरा दूसरे ओफिसर उसके आधीन काम करते हैं और उससे इन्स्ट्रेक्शन और लेते हैं। ए० आई० जी० सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट होता है जो डी० आई० जी० से रेंक में कुछ कम होता है। यह कोई अनहोनी बात तो है नहीं ?

एक अफसर के बारे में खास तौर से उदाहरण दिया गया है जिनका नाम श्री मेहता है। उनके मुतल्लिक यह कहा है कि इस अफसर के लिए सिलेक्शन कमेटी ने सिफारिश की थी कि यह काबिल आदमी हैं और अनुभवी हैं; इनकी सर्विस रिटेन कर लेनी चाहिये; इसलिये उनको रख लिया गया था। वे एक योग्य व्यक्ति हैं और उन्हें काफी एक्सपिरियेन्स है और इस विभाग में उपयोगी हैं इसलिये सिलेक्शन कमेटी ने इन्हें सिलेक्ट किया था। सरकार के पास यह कहने का कोई रास्ता नहीं था कि उनको क्यों रखा गया ? थोड़ी सी बातें मैं और निवेदन करूंगा कि सदन के सदस्यों को कोई यदि शकशुबाह हो तो वे उसे छोड दें और यह विश्वास रखें कि सरकार किसी राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सी० आई० डी० का उपयोग नहीं करेगी।

श्री भैरूंसिंह:--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे कि कांग्रेस पक्ष के कुल कितने भ्रष्ट एवं चोर आदमियों की इत्तला सरकार को पिछले तीन साल में मिली ?

कपिलदेव:--क्या माननीय सदस्य यह इत्तिला शोर्ट नोटिस प्रश्न पर नहीं पूछ सकते थे ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, यह वाद-विवाद दूसरा टर्न लेता जा रहा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि एक पक्ष में कोई चोर डाकू पाये जाते हैं तो क्या यह लाजमी है कि दूसरे पक्ष में भी होंगे।

श्री भैंरूसिंह:--तो मैं क्या यह समझूं कि कांग्रेस में कोई चोर या डाकू नहीं हैं ?

माननीय अध्यक्ष.--ऑर्डर, ऑर्डर।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--माननीय अध्यक्ष, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था; इसलिये पार्टी पर आक्षेप नहीं करना चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि सी० आई० डी० का अपना काम है और वह करती है यह जिस प्रकार की कटौती प्रस्ताव रखा गया है और जिस भाषा में रखा गया है वह दर असल ठीक नहीं है। और मैं नहीं चाहता इस वाद-विवाद के बारे में जो बातें कहनी पडती हैं, कहता । लेकिन माननीय सदस्य ने कुछ बातें रखीं उनका स्पष्टीकरण, और निराकरण करने के लिए इच्छा न होते हुए भी कुछ बातें बतानी पड़ीं । एक दो फैक्ट्स बताये हैं, दूसरे फैक्ट्स नहीं बताये हैं। मैं उन बातों को जब तक आवश्यक न हो, हाउस के सम्मुख नहीं लाना चाहता हूं मैं आम तौर से बताना चाहता हूं कि सी० आई डी० या सरकार के किन्हीं साधनों का उपयोग किसी दल विशेष या वर्ग विशेष को हानि पहुंचाने के लिए या किसी राजनैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिये नहीं किया गया है और न किया जायगा । मैं इतनी उदारता चाहता हूं, इस सदन के माननीय सदस्यों से कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी दल का है यदि अपराधी पाया जाता है और उसके खिलाफ सरकार का सी० आई० डी० विभाग कार्य करता है और कोई विभाग कार्य करता है तो कृपा करके इस बात को राजनीति में घसीटने की कोशिश न करें; उसमें यह सोचकर कि समाज के लिए जो हानिकारक अन-सोशल एलीमेन्ट्स हैं और उनके खिलाफ कोई काम किया जाता है तो उसके लिए कोई शिकायत कभी नहीं होनी चाहिये। सी० आई० डी० ने पूरा काम किया, यह मैं नहीं कहता । सी० आई० डी० की स्ट्रेन्थ ज्यादा बढाना, उसको ज्यादा कुशल बनाने की जरूरत है; ताकि हम अन-सोशल एलीमेन्ट्स को छान सकें और जन साधारण को शान्ति और सुख-सुविधा मिले। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन के सदस्य सरकार को सहायता दें । इस प्रकार यह कटौती प्रस्ताव वापिस लिया जाये तो अच्छा है।

श्री माधोसिंह:- मैंने आपके द्वारा मुख्य मंत्री से एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर उन्होंने नहीं फरमाया ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो कहा था वह सही मालूम नहीं पडा। सरकार के सभी मंत्री एक से हैं और मैंने सरकार की ओर से कहा है । सरकार किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिए सी० आई० डी० का कभी उपयोग नहीं करेगी । मैं यह नहीं कह सकता कि अमुक विभाग किस मंत्री के हाथ में रहेगा । आज मेरे हाथ में यह विभाग है, कल किसी दूसरे के हाथ में

हो सकता है । इसमें कोई आश्वासन देने की न तो मैं जरूरत समझता हूं और न वह उचित ही मालूम होती है।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक सुझाव माननीय मुख्य मंत्री को देना चाहता हूं; यदि आप आज्ञा दें ।

माननीय अध्यक्ष:--No, Reply is over (नहीं, उत्तर दिया जा चुका है) ।

माननीय अध्यक्ष:-The question is. That the demand under head "Police" (f) (i page 54 Criminal Investigation Department be reduced by one half of the fixed amount.

(अस्वीकृत)

माननीय अध्यक्ष:-अब इस ग्रान्ट के लिये सब सांकेतिक कट रह जाते हैं तो यह समझ लिया जाय कि सारे सांकेतिक कट हाउस के सामने प्रस्तुत होगये ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--No objection

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है "That the Demand under Head "Police" be reduced by Rs. 100/- (to discuss the Lack of adequate security arrangements in Jodhpur Division.)'

अध्यक्ष महोदय:–मैं इस हाउस का विशेष समय नहीं लेना चाहता । जो कटौती प्रस्ताव हमारे सामने है और जो इसमें चर्चा का विषय है उसको लेकर मुझे अपने विचार कुछ समय पूर्व इस हाउस के समक्ष पेश करने का मौका मिला और जो बातें इस समय मैंने आपकी मारफत इस सदन के सामने रखीं उन्हें दोहराने से मैं, इस हाउस के समय का कोई विशेष प्रयोजन होगा, ऐसा नहीं मानता । इस संबन्ध में मुझे जो निवेदन करना है वह बात केवल तथ्य की है।

सर्व प्रथम मैं यह बल पूर्वक कहना चाहता हूं कि अब तक जो शान्ति और सुरक्षा का प्रबन्ध संबन्धित क्षेत्रों में रहा है वह किसी भी दृष्टिकोण से संतोषदायक नहीं रहा है । इसके कई कारण हो सकते हैं । लेकिन इन कारणों में एक मुख्य कारण मेरी समझ में यह है कि शासन प्रबन्ध की ओर से जितनी सतर्कता, जितनी योग्यता, और कार्यकुशलता से सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये था, नहीं हो रहा है । यह भी तथ्य की बात है कि इस संबन्ध में हमें कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है और उसे शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिये जिससे शान्ति और सुरक्षा कायम हो । इस संबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं जो जो जानकारियें हमें सरकारी पक्ष की ओर से प्राप्त हुई हैं उनसे भी हमारा विश्वास सबल होता है कि इस संबन्ध में सरकार की ओर से जो आवश्यक व्यय होना चाहिये था, नहीं हुआ । कई स्थान अभी तक रिक्त पड़े हैं और भी आवश्यक व्यय जो होना बहुत जरूरी था, नहीं हो पाया । इन सब कारणों से जिस समय पुलिस विभाग का इन्टिग्रेशन होना

चाहिये था वह भी नहीं हो पाया । और जो शान्ति और सुरक्षा का प्रबन्ध संबन्धित क्षेत्रों में होना चाहिये था वह भी नहीं हो रहा है और आज उन क्षेत्रों की दयनीय दशा है । वहां के लोग, जहां तक मैं उन्हें जान पाया हूं, दिन रात इसी चिन्ता की आग में जलते रहते हैं । यह सवाल हमारे जीवन और मरण का सवाल है और मैं समझता हूं कि इसे दलगत भावनाओं से ऊपर रखा जावेगा और रखा जाना चाहिये । जब तक हम अपने प्रान्त में, अपने प्रान्त के नागरिकों को शान्ति और सुरक्षा की बुनियादी सहुलियतें नहीं दे पाते हैं, तब तक हमारा यह कहना कि हमारे प्रान्त में सुशासन है तथा यह कहना कि हमारे यहां पुलिस-राज्य भी है, ठीक नहीं । जो बातें अति आवश्यक है उनमें से सबसे ज्यादा आवश्यक यह बात है कि इस अशान्ति काल को खत्म किया जावे और जितना जल्दी हो सके, खत्म किया जावे ।

हमने इस संबन्ध में आपसे यह भी निवेदन किया है कि जो भी सहयोग आप हमसे चाहते हैं हम उसे देने के लिये तैयार हैं । लेकिन इस भावना को लेकर मुझे दुःख के साथ कहना पडता है कि हमें महज इस ओर बैठने के कारण सदन में वे बातें सुनने को मिलती है जिनकी मुझे आशा नहीं थी । मैं यह चाहता हूं कि इस हाउस में स्वस्थ और आदर्श परम्पराएं कायम हों; लेकिन अपने अनुभव के आधार पर यह कहूंगा कि हाउस का वातावरण स्वस्थ और आदर्श परम्पराएं कायम करने के लिये अच्छा प्रमाणित नहीं हुआ है । इसके लिये मैं दो शब्द सांकेतिक रूप से अर्ज करना चाहता हूं कि जब हमने शान्ति और सुरक्षा का प्रश्न उठाया तब राज्य पक्ष की ओर से और उनके पीछे बैठे हुए लोगों की ओर से हम पर यह आक्षेप लगाया गया कि इस संबन्ध में बहुत कुछ दोष इस हाउस में बैठे हुए विपक्षी दल का है । मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल निराधार है । हो सकता है कि जो विपक्ष में सदस्य बैठे हैं उनमें से कुछ एक खास वर्ग के हैं, हो सकता है वे लोग जो आज इधर बैठे हैं कल उधर बैठ जाएं । यह एक इत्तफाक की बात है । यदि मैं इस संबन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी के शब्दों को वापिस दोहराऊं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि आज जो हाउस के उस ओर बैठे हैं कल इस ओर बैठ सकते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आज हम यहां पर बैठे हैं तो एक राजनितिक विरोधी दल की हैसियत से बैठे है और यहां पर इस हाउस में जनता के प्रतिनिधियों की हैसियत से हैं, किसी खास वर्ग या तबके की हैसियत से यहां नहीं बैठे हैं ।

जब कुछ समय पूर्व इस संबन्ध में जब बहस हुई तो उस समय ऐसे लम्बे चौड़े भाषण दिये गये और हमें कहा गया कि आप हम लोगों का सहयोग चाहते हैं, शान्ति और सुरक्षा के लिये, और दूसरी तरफ यह आक्षेप लगाया जाता है कि शान्ति और सुरक्षा के लिए यदि कोई दोषी है तो विपक्षी दल । यह आपकी बड़ी भूल हैं । मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि आपके इस रवैये से क्या समझा जा सकता है । जिस प्रकार प्रान्त की जनता के प्रतिनिधि आप हैं हम भी उसी प्रकार जनता के प्रतिनिधि हैं । मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम यहां पर जागीरदारी और जागीरदारों के हितों की रक्षा करने के लिये नहीं आये

हैं और न हम किसी जागीरदारी संस्था के मातहत हैं । इस हाउस में हमारी हैसियत या स्थिति जनता के प्रतिनिधियों की है और वही समझी जानी चाहिए और इधर उधर की बातें कह कर हमारी स्थिति पर किसी किस्म के आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए, जिससे जनता में यह भ्रम न हो कि हम जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिये यहां आये हैं और जिन्होंने हमें भेजा है उनका प्रतिनिधित्व हम नहीं कर रहे हैं, केवल किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं । यदि इस सदन में राज्य पक्ष हमें प्रतिगामी दल कह कर आक्षेप करेगा तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं । अगर आपको यह ख्याल हो कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जागीरदारी से बहुत संबन्ध है तो आप उनसे हाउस के बाहर उनकी निजि हैसियत से बात करिये । उसके मायने यह नहीं होने चाहिए कि आप हमको ऐसी अजीब स्थिति में डाल कर यह कहें कि हम इस प्रान्त की शान्ति और सुरक्षा में बाधक होकर बठना चाहते हैं । जिस समय यह महसूस करने लगेंगे कि हमारा यहां बैठे रहना बेकार है प्रान्त के हित में बाधक है हम यहां एक मिनिट भी बैठे रहने वाले नहीं । हम अपने प्रान्त की भलाई के लिये, जिन सिद्धान्तों को लेकर, यहां आये हुए हैं, उसके लिये जिस तरह का सहयोग आपको चाहिये हम 'देने के लिये तैयार हैं । किसी भी प्रजातंत्रिक शासन में हर एक बात जो विरोधीदल कहे उसके संबन्ध में यह कहना कि आप प्रतिगामिता की ओर लेजाना चाहते हैं; कहां तक ठीक हो सकती है । जब विरोधी दल की तरफ से कोई बात कही जाती है तो उन्हें प्रतिगामी कहा जाता हैं; मगर मैं यह कहूंगा कि जब उसी प्रकार की बातें आप की तरफ से कांग्रेस सदस्यों ने कही उनके लिये तो वही शब्द काम में नहीं लाये गये जो हमारे लिये कहे गये थे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस हाउस में उन सिद्धान्तों को भूल रहे हैं.............

एक सदस्यः—माननीय अध्यक्ष...........

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—महरबानी करके आप मुझे बोलने दें । मेरा आप से निवेदन है कि आप हाउस में ऐसी परम्पराएं कायम करें जिससे आप को और हमको एक दूसरे का सहयोग मिले । जो शब्द बार बार कहे गये हैं कि शान्ति और व्यवस्था को कायम करने में विरोधी दल बाधक है, मैं चाहता हूं कि उनका निराकरण किया जावे । कई भाषण, मुझे, अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेगें यदि मैं यह कहूं कि ऐसे दिए गए हैं और जिनके पीछे खूब वाह वाह भी की गई है लेकिन मेरा अपना विचार है कि वे इस सदन के योग्य नहीं थे, वे भाषण यदि होने ही चाहिए थे तो वे इस सदन के बाहर । वहां हम उनका स्वागत कर सकते थे, लेकिन इस हाउस के अन्दर हम एक राजनैतिक विरोधी पक्ष की हैसियत में बैठे हुए हैं । जो स्थिति आपकी हैं वही स्थिति हमारी है,

सम्भव है आज आप राज कर रहे हैं कल, हो सकता है, कि हम उन कुर्सियों पर बैठ जायं।..... (विचार जारी)

श्री मथुरादास माथुर:—इट इज इर्रिलेवेन्ट

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—तो मैं आपसे जो कुछ निवेदन कर रहा था····

माननीय अध्यक्ष:--हाफ योर टाइम इज ओवर। इट इज टेन मिनट्स यू हैव स्पोकन।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—आइ हैव अनादर टैन मिनिट्स टू स्पीक सर। तो मेरा आपसे जो कुछ निवेदन अब तक रहा है वह इसी कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में रहा है। मैं किसी दूसरी बात का जिक्र, आपके सामने नहीं कर रहा था, और चूंकि यह प्रश्न ऐसा है जो मेरी समझ में बुनियादी प्रश्न है। उसमें हमें सही प्रकार से सोचने की जरूरत हैं। उसको किसी राजनैतिक दलदल में फंसाने की जरूरत नहीं। इसी भावना को लेकर मैंने यह बात आपसे कही और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह नहीं सोचा गया तो बजाय यह समस्या सुलझने के उलझ जायगी।

माननीय अध्यक्ष:--आई वुड रिक्वेस्ट दी ओनरेबल मेम्बर टू कम टू दि पोइट।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मेरा यह निवेदन था कि इस प्रश्न का हल किया जाय। इस प्रश्न को हल करने के लिए एक विशेष मनोभावना की आवश्यकता है। मैं यह बात आपसे निवेदन कर रहा था और अब भी यह निवेदन करता हूं कि जब तक यह मनोभावना नहीं होगी तब तक यह प्रश्न बजाय सुलझने के उलझेगा। मैं समझता हूं कि आप इसको विचार पूर्वक ध्यान में रखेंगे और आइन्दा हाउस में ऐसीं २ बातें नहीं होगी जिनको लेकर यह संकेत, यह निर्देश या यह आरोप हमारे प्रति लगाए जायं कि अगर इस प्रान्त में शान्ति और सुरक्षा कायम नहीं हो सकती तो इसकी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष में बैठने वाले लोगों की है। यही मेरा निवेदन है।

यह बात कहकर जो दूसरी बात में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमें बड़ी प्रसन्नता होती अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा हमें कुछ यह सुनने को मिलता कि जिस क्षेत्र का जिक्र, मैं कर रहा हूं उसमें जो बड़े २ डाके लाखों रुपये के बड़ी बेरहमी से दिन दहाड़े कुछ अर्से से हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में क्या क्रियात्मक कार्य किया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता हूं कि सरकार प्रयत्नशील नहीं है। होगी; लेकिन अभी तक हमें जितना संतोष इस सम्बन्ध में होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। मैं यह भी मानता हूं कि आम तौर पर मुख्य मंत्रीजी ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे इस सम्बन्ध में सतर्क रहेंगे

और प्रयत्नशील रहेंगें और इस अशांति और अरक्षा के आलम को खत्म कर देने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हम उनके इन आश्वासनों का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह कोरे कागजी आश्वासन ही न हों, इस हाउस की चार दीवारी में ही रहने वाले आश्वासन न हों, हम चाहते हैं कि वह आश्वासन अमली रुप धारण करें और हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग फिर से यह समझने लगें कि हम एक प्रगतिशील और दृढ़ प्रान्त में रह रहे हैं जिसमें शांति और सुरक्षा का पूरा प्रबंध हो रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, मैं इस हाउस के नेता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक और बात आवश्यक है और वह यह है कि हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि न केवल जो डाका करने वाले लोग हैं वे पकड़े जायं और जो माल लूटा गया है वह बरामद हो। यह तो बड़ी मुश्किल की बात है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में, यह काम की बातें है कि 'प्रिवेंशन इज् बेटर देन क्योर (Prevention is better than cure)' हमें ऐसी स्थिति अपने प्रान्त में पैदा करनी चाहिये कि जिससे डकैतियें, धाड़, चोरी होने ही न पायें। मैं यह नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही न हों, यह तो सम्भव भी नहीं है। मैं आपसे ऐसा नहीं कहने वाला हूं; जो कोई बहुत बड़े आदर्श की बात हो। मेरा लक्ष्य साधारण है। हमारे सामने लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे कि जन स्वास्थ्य के मामले में किसी बीमारी, महामारी होने से पहले उसके रोक की कार्यवाही करें तो यह बुद्धिमानी का काम होगा। इसी, प्रकार शांति और सुरक्षा के मामले में निरोधात्मक कदम उठाने चाहिये। चोरी डकैती हुआ करे और चोरों डकैतों को डर नहीं हो, धाड़ा डालने पर हम उनके पीछे २ फिरा करें; यह प्रणाली कोई ठीक नहीं होगी। हमें निरोधात्मक काम करना चाहिए, दंडात्मक काम से पहले; यही मेरा आपसे निवेदन है। इस ओर आप ध्यान रखेंगे और पुलिस विभाग पर आप कड़ी दृष्टि रखेंगे, उन लोगों से पूरा काम लेंगे, और ऐसा आलम हमारे यहां कायम करेंगे कि हम फिर से यह समझ सकें कि हमारे यहां कम से कम शांति और सुरक्षा का समुचित प्रबंध है। इन थोड़े से शब्दों में अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपके मार्फत, और में यह समझता हूं कि मेरे प्रस्ताव में मैंने कोई अनुचित बात इस हाउस के सामने नहीं कही है। मेरा अन्त में निवेदन है कि हम सबका कर्त्तव्य है कि हम हाउस में ऐसी परम्पराएं कायम करें जो कि हमारे लिए शोभाजनक हों, स्वस्थ हों; आज के लिए नहीं तो आने वाले भविष्य के लिए भी।

श्री गोपीलाल यादव:--माननीय अध्यक्ष, इस प्रस्ताव पर जो कुछ कहा गया है, कुछ बातें मैं भी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जिस वक्त ऐसी दशा पैदा हो जाती है कि डाके और चोरियां ज्यादा बढ़ जाय तो उस वक्त हमको विशेष कार्यवाहियां भी करनी पड़ती हैं। मुझे राजप्रमुख के भाषण में यह सुनकर उस समय दुःख हुआ जब कि गवर्नमेन्ट पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि हमारी मिलिट्री हमारे पास नहीं है, वह सेंट्रल में चली गई है इसलिए हम डाके और चोरियों को बन्द करने में फौज की सहायता से वंचित हो गये हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डाके और चोरियां किसी इलाके में पड़ रही हों तो अब भी फौज की सहायता ली जा सकती है, फौज की सहायता सेंट्रल से मांगी जा सकती है और हमको आवश्यकता इस बात की है कि.......विचार जारी

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई, ऐसा तो नहीं कहा गया।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, यह जो चीज है मेरे ख्याल से रिपोर्ट को ठीक ढंग से पढ़ा जायगा तो साफ हो जायगा। उसके अन्दर दर्ज है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के डाके, जिस वक्त मत्स्य की चारों रियासतें एक हुईं तो वहां शुरू हो गये और वहां उसी वक्त मिलिट्री सारे बोर्डर पर लगा दी गई और उस इलाके के गांवों में जहां पर डाके पड़ते थे उनकी परेडें जीपों और ऊंटों के जरिए से शुरू करा दी गई; तो दो महीने के अन्दर अन्दर सारे डाके बन्द हो गये। आज भी अगर आप यह चाहते हैं कि डकैतियों को बन्द करें और कोई पोलिटिकल फायदा उससे नहीं उठायें तो यह डाके अब भी बन्द हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो कि बहुत जरूरी है कि जब तक इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि डाकू हरेक वेष में हो सकता है तब तक हम डाकुओं को नहीं पकड़ सकते हैं। हमें ऐसा मालूम हुआ है कि अब तक लोगों का ख्याल था कि डाकू खादी नहीं पहनेगा, डाकू गांधी टोपी नहीं पहनेगा; लेकिन मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तजुर्बे की चीज है। अंग्रेजी राज्य में जिस वक्त हेट और बूट पहना जाता था तो बढ़िया डाकू उस अंग्रेजी सूट में रहा करते थे और उससे पहले के जमाने में साधुओं की इज्जत होती तो बढ़िया डाकू साधुओं के वेष में रहा करते थे। आजकल अच्छे डाकू कोई जागीरदार के भेष में नहीं मिलेगा। वह तो फौरन ही उस दल को जोइन करने की कोशिश करेगा जिसकी आड़ में रहकर पुलिस से बचे और डाके भी डाले। इसलिए मैं अपने मुख्य मंत्री से यह कहूंगा कि पुलिस को हिदायत दी जाय कि वह डाकुओं की जिस वक्त छानबीन करें उस वक्त यह देखें कि उसमें कोई कांग्रेस का सदस्य तो नहीं है कोई आदमी खादी तो नहीं पहनता है। डाकू इतने होशियार होते हैं कि वह ऐसे वेष बनाकर डाका डालेंगे कि पुलिस की पकड़ में वे न आवें। इन सुझावों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेन्ट इस पर ध्यान देगी तो डाके बन्द हो जायेंगे।

श्री किशनलाल शाह:- अध्यक्ष महोदय, पुलिस पर जो कटमोशन आया है उस पर कुछ बातें कटमोशन पर विशेषत: जोधपुर डिविजन की शांति और व्यवस्था से सम्बन्ध रखती है। मैं समझता हूं कि इसमें दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। एक दृष्टिकोण है जो कि पुलिस की मशीनरी में जो इनहेरेंट वीकनेसेज हैं उनसे सम्बन्ध रखती है और दूसरा दृष्टिकोण है जिसमें राजनीति से सम्बन्धित किया जा सकता है। जहां तक पुलिस की इनहेरेंट वीकनैसेज का सवाल है मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता के आन्दोलन से पहले जोधपुर में जो अन्दोलन चल रहा था उसको दबाने के लिए जोधपुर के भूतपूर्व शासकों ने पुलिस की मशीनरी का जमाव इस ढंग से किया था कि वह उनके निहित उद्देश्य को पूरा कर सके और उसके बाद में ज्यों ज्यों समय बदलता चला उस मशीनरी के दिमाग की जो कूबत थी उसको एक जगह स्थिर रखा गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपराधों की खोज के लिए, "राठौरी", तरीका ही बरता गया था, राठौरी तरीके से

[redacted]

उनके दिमाग को यूज नहीं किया गया था। दूसरा जो जोधपुर डिविजन में पुलिस की असफलता का कारण हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अज करूंगा कि पुलिस जिसका कि काम राज्य के कानूनों की अवहेलना को न केवल रोकना ही है बल्कि जिसने अवहेलना की है उनको सजा दिलाए। परन्तु जहां तक मेरा अनुभव है, अध्यक्ष महोदय, में स्पष्ट कह दूं कि जो पुलिस का रवैया रहा है वह राज्य के कानूनों की अवहेलना के प्रति जागरूक नहीं रहा है, बल्कि जनता के लोग उनके पास पहुंचे, तब कहीं जाकर उनकी आंखे खुलती हैं कि फलां जगह राज्य के कानूनों की अवहेलना हुई है। तब पुलिस का कार्य होता है, वह इस तरफ जागरूक रहती हो, इस दृष्टिकोण को नहीं अपनाया है। इसके अलावा मैं यह भी कह दूं कि राजस्थान के एकीकरण के बाद भी उन पुरानी रियासतों ने अपनी रियासतों की हदों के करीब नाके बन्दी की थी वह आज भी उसी तरह से पुलिस के थाने व चौकियों के रूप में बनी हुई हैं। पुलिस थाने और चौकियों का जो जमाव आज की स्थानीय परिस्थितियों को, जहां कि अशांति और अव्यवस्था का खतरा रहता हो, वहां होनी चाहिए, उस जगह इन्तजाम नहीं किया गया है। इसके अलावा मैं अर्ज कर दूं कि हमारे जोधपुर डिविजन में आज कल सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। मैंने देखा है कि वहां अगर कोई हासिल कानून के मुताबिक देना चाहता है तो जागीरदार उस हासिल को बढा बढाकर लेना चाहते हैं। स्टैंडर्ड बैजेज हैं उनके प्रतिकूल बैजेज देना चाहते हैं और न जाने क्या २ बातें करते हैं; तो इनके अन्तर्गत कई जुर्म हुए हैं। ऐसी चीजों की रोकथाम होनी चाहिये। भारतीय विधान की जो ३३० दफा है, जहां तक मेरी जानकारी है मैं निश्चित तौर पर कह दूं कि उस दफा का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि पुलिस के कर्मचारियों को इस दफा की जानकारी है ही नहीं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक चीज तो यह गलत हुई है कि वहां पर पुलिस को इतने अधिकार दिए गए हैं कि यह उनकी इच्छा है कि नाकाबिल सनाख्तगी चोरी के माल को पकडा जाय तो भी उसकी छानबीन न करें, इसका दुरूपयोग हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि कितने ही ऐसे गांवों में चोरियें हुई है और इस हालत में पुलिस छानबीन नहीं करती। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूं कि यहां तक भी हो रहा है कि जहां चोर को पकड़ लिया गया है फिर भी चूंकि माल काबिल सनाख्तगी नहीं होने से पुलिस ने उनका चालान करने से इनकार कर दिया। इन सब का एक नतीजा निकलता है कि पुलिस ऑफिसर उदासीन रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहे हैं और जनता का उनके प्रति असंतोष बढा है, उनकी निराशा बढी है और नतीजा यह कि अपराध की जानकारी पुलिस ध्यान से नहीं करके उल्टे चोरों और डाकुओं से मिलकर रिश्वतें लेकर माल को उड़ाया गया है।

इसलिए जहां तक इस मशीनरी का सवाल है, मैं यह निवेदन कर दूं कि एक निश्चित चीज पैदा हुई है और इन सारे कारणों से असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मिला है और जनता के अन्दर एक मनोवैज्ञानिक निराशा हुई है। जहां स्वतंत्रता के बाद में संविधान पास हो जाने के बाद में जो कानून इस राज्य में, हमारे देश में स्थापित हो गये हैं उन कानूनों के देश में होते हुए भी इस राज्य के नागरिकों को अपने अधिकारों से वंचित रहना पडता है।

अब दूसरा प्रश्न आता है कि एक तो पुलिस के अधिकारियों में इन्हेरेंट वीकनैसेज हैं और दूसरा यह है कि उनके पास साधनों की कमी है हथियारों की कमी है तो अध्यक्ष महोदय में यह निवेदन कर दूं कि जैसा कि हमारा देश है, हमारा राज्य है; वह रेगिस्तानी राज्य है। हमारे पुलिस के अधिकारियों को ऊंटों पर सवार होकर जहां विस्तृत भ्रमण करना चाहिए वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऊंटों की तकलीफ की वजह से अपने कर्त्तव्य से अलग रहते हैं और थोड़ा बहुत मोटरों में, जहां वे जा सकते हैं, घूम लेते हैं। इससे पुलिस के कर्मचारियों में उदासीनता आई है, आरामतलबी आई है कर्त्तव्य की भावना उनके सामने नहीं रही है।

इन सब बातों के होते हुए भी ओर इन सब बातों के होने के बाद में जहां कि पुलिस का स्तर ऊंचा होना चाहिए वहां उसके साथ में एक दूसरा दृष्टिकोण भी आता है। मुझे ऐसा सुनने में आया था कि इस पुलिस के बारे में एक दूसरे पर दोषारोपण होते हैं। मैं यह मान सकता हूं कि यह गलत चीजें हो सकती हैं; परन्तु जब घटनाएं सामने आती हैं, तो इसे मानना पड़ता है। एक घटना को लेकर ही नतीजा निकालना चाहें तो हम शायद निकाल सकते हैं लेकिन घटना के ऊपर घटनाएं होती चली जाती है। और घटना की प्रगति के जो विवरण जनता, मंत्रियों और दूसरे लोगों के सामने जाते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके पीछे क्या है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट निवेदन कर दूं कि जो यह कहा जाता है कि यह बात नहीं है; मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितनी शांति और व्यवस्था जोधपुर डिविजन में खराब है, उनके पीछे जागीरदारों का हाथ है, राजनैतिक हाथ है इस बात में कि शांति और व्यवस्था खत्म हो जाय और उन्हें यह कहने का मौका मिले कि सफेद टोपी वाले अयोग्य, नाकाबिल हैं, इनको शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक निश्चत उद्देश्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरी तहसील में जिस समय मुख्य मंत्री आये थे, मुझे याद आ गया, उस समय इस चीज को लेकर बड़ा आन्दोलन चल रहा था। एक काश्तकार के एक खेत था। वह उसका पट्टा कराने जा रहा था तो उसका नाक काटकर यह कहा गया कि कच्चा पट्टा तो यह है और पक्का पट्टा कान काटकर किया जायगा। चोरियें होती हैं, डकैतियां होती हैं तो खास तौर से कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के यहां की जाती हैं। यह बहुत कम ऐसा होता देखा है कि कहीं पर किसी जागीरदार या उसके सम्बन्धियों के यहां ऐसे काम हुए हों। परन्तु यह बात जरुर होती है कि जो जागीरदारों के विरुद्ध है उनके साथ ऐसा व्यवहार जरूर होता है। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि जागीरदारों ने मौका मिलते ही जमीन को बो लिया। यह एक निश्चित चीज है कि इससे कयास करने का मौका मिलता है कि आज भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिनके पीछे राजनैतिक उद्देश्य होता है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि डाकू और चोर एक विशेष वेष में आते हैं। उन्होंने यह इशारा किया कि सफेद टोपी में आते हैं। मेरा निवेदन यह है कि वे मिलिटरी और पुलिस के वेश में राइफल और बन्दूक लेकर आते हैं। वे सिपाही पहले रह चुके हैं; उन्हें यह चीज मिल सकती है।

इसलिये वे जिस वेष में आते हैं वह मिलिटरी और पुलिस का वेष होता है और कभी इन हालात में परिवर्तन होना संभव है और जो पुराने रियासतों से आये हैं उनसे संबन्ध हो सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि इनहेरीटेन्ट वीकनेसेज़ को कम करें तो शासन में सुधार हो सकता ह ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया: - अध्यक्ष महोदय, बजट की बहस राजप्रमुख के भाषण पर जिस प्रकार की बनी, वैसी ही धीरे धीरे यह भी बनती जा रही है । मैं इस पर बोलने का इरादा नहीं रखता था लेकिन विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने, मुख्य मंत्रीजी ने, जो कुछ कहा, उसका कुछ और ही अर्थ निकाला । मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे कभी यह आभास नहीं था कि विरोधी पक्ष पर कोई आक्षेप हो । लेकिन कुछ व्यक्ति जो इसमें सीधे और परोक्ष रूप से, जिनका हाथ है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही के बारे में हमेशा संकेत करते रहे हैं । मुझे पता नहीं कि किस कारण से प्रेरित होकर माननीय सदस्य ने इस बात को इतने जोर से रखने की आवश्यकता महसूस की । उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बहस चलती रहेगी तो समस्या सुलझने के बजाय और उलझ जायगी । मैं यह नहीं समझ पाया कि यह बहस पुलिस व्यवस्था, डकैती की समस्या सुलझने और उलझने से किस तरह से सम्बन्ध रखती है । लेकिन यह बात यहां कही गई तब मुझे ख्याल हुआ कि थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जिनको स्पष्ट कर देना आवश्यक है । अध्यक्ष महोदय, इतनी बात हम निश्चित समझते हैं कि जो अव्यवस्था राजस्थान में हैं उसके पीछे, मेरी निश्चित धारणा ह कि एक राजनैतिक कारण है । यदि हम इस चीज को भुलाना चाहें तो भुला नहीं सकते । मैं नहीं जानता कि चुनाव के पहले कुछ हिस्से में जो डाके होते थे वे चुनाव के दिनों में एकाएक क्यों बन्द हो गये और फिर चुनाव के बाद में क्यों चालू हो गए ? क्या यह किसी निश्चित दिशा की ओर संकेत नहीं करता है ? मैं नहीं कहता कि इसमें किसी व्यक्ति या पक्ष का हाथ है । लेकिन जब कि माननीय मुख्य मंत्री ने फरमाया कि चाहे किसी का भी हाथ हो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायगी तो हाउस के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें विरोध हो, यह समझ में नहीं आता ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी: —अध्यक्ष महोदय, हमने कभी विरोध नहीं किया । आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए एक नागरिक की हैसियत से हम तैयार हैं । आप हमारी बातों का कुछ और ही अर्थ लेते हैं यह मेरा कसूर नहीं है ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया: — गलत समझने का सवाल नहीं । निश्चित तौर पर जो बात कही गई है वह मैंने आपके सामने रखी है । दूसरी बात यह है कि अभी कहा गया है कि खादी के टोपी के अन्दर भी बहुत से डकैत आ सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं कि खादी की टोपी में न मालूम कौन कौन हो सकते हैं ? लेकिन डाकू अगर खादी की टोपी और धोती पहनकर आयें तो समझ में नहीं आया कि क्या यह एक नया तरीका जारी हुआ है ? यह तो एक पक्ष का दूसरे पक्ष के ऊपर आक्षेप ही समझा जायगा । पहले बहस के दौरान में यह प्रश्न उठाया गया था कि आप और हम सब इस बात

को अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पक्ष की तरफ यदि ऐसा होगा तो क्यों कार्यवाही की जायगी । डकैत यदि कांग्रेस पक्ष की ओर का होगा और डकैती करेगा तो भी मैं समझता हूं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि इसमें यदि किसी का भी हाथ रहेगा तो उसके साथ सख्ती से कार्यवाही की जायगी । तो फिर इस में किसी दल विशेष को लाने का प्रयत्न क्यों किया जाय ? जब कि सख्ती से अमल किया जायगा तो राजनैतिक कारण नहीं होना चाहिये । यह एक स्लोगन बन गया है, हर चीज में यह हो गया है कि जागीरें नहीं ली जायं क्योंकि इसमें भी राजनैतिक कारण हैं, जो नहीं होना चाहिये। ला एन्ड आर्डर यदि कायम किया जाय तो इसमें भी राजनैतिक कारण नहीं होना चाहिये । अगर कोई सख्त कदम उठाया जाय तो भी कहा जाय कि इस के पीछे राजनैतिक पहलू है । मैं कहूंगा इस पर गंभीरता से विचार करके विश्लेषण करें तो यह मानना होगा कि आज हमारे लॉ एन्ड आर्डर की मूल समस्या जिन कारणों से इसको सामने रखते हुए, जिन कारणों से यह स्थिति पैदा हुई है उस पर विचार नहीं करते तो किसी प्रश्न का हल नहीं कर सकते । जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, खास तौर से पुलिस बजट में कमी करने के बारे में, मैं समझता हूं कि कटौती प्रस्ताव पेश करने के साथ हर एक के दिल के अन्दर यह भावना होनी चाहिये कि हमें राजस्थान में सुख और शान्ति का राज स्थापित करना है । तो उसके लिए जिस खर्चे के बारे में मन्जूरी के लिए जो बिल रखा है उसके बारे में माननीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में स्पष्ट बतला दिया था कि अन्य प्रान्तों के अनुपात से हमारे राजस्थान में पर केपिटा पुलिस पर कम खर्चा होता है । इस बात को लक्ष्य में रख कर देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहां जो बजट पेश किया गया है उसमें से हमारे यहां और गुंजाइश करके जल्दी से जल्दी इस स्थिति को ठीक करने की कोशिश करें और कमी का प्रस्ताव इसके साथ मेल नहीं खाता ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव पुलिस बजट में कमी करने के लिए किया गया है उससे हमारा दृष्टिकोण यह नहीं कि पुलिस के बजट में किसी तरह की कमी की जाय। पुलिस बजट में, मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी कहा इस हाउस की नीति दृढ़ और स्वच्छ परम्परा कायम करने की होनी चाहिए। एक तरफ शान्ति और सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं किन्तु आप का संकेत होता है दूसरी तरफ। हाउस में बैठे हुए कभी हमारा मकसद यह नहीं है कि हम किसी वर्ग विषशे या संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए आये हैं । हमें दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि हम सहयोग दें तो यह समस्या जरूर उलझ जाती है । मेरे माननीय दोस्त ने मेरे विचारों को ठीक नहीं समझा; उसके लिए खेद है ।

श्री भीमसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह कट मोशन रखा गया है उसके समर्थन में अर्ज करते हुए कुछ पोइन्ट्स आपके जरिये सदन के सामने रखना चाहता हूं । इस बजट के लिए कुछ रकम पुलिस के मद में बढ़ाई जाय, यह कह कर कि लॉ एन्ड आर्डर को कायम रखने के लिए कानन और व्यवस्था

की स्थिति प्रान्त में खराब है इसलिये यह रकम रखी गई है । यह वास्तविक स्थिति को छिपाना है । जहां राजप्रमुख के अभिभाषण में यह कहा गया था कि सन् १९४९ और १९५१ के आंकड़े हैं उनसे जाहिर है कि लॉ एन्ड आर्डर में सुधार हुआ है । उसको माननीय सदस्य ने वाइट वाश कर दिया । छोटे मोटे जितने जुल्म हुए हैं उसमें कमी ही हुई है, बड़ी बड़ी डकैतियां, चोरियां किडनेपिंग बर्गलिंग आदि में भी कमी हुई है, यह राजप्रमुख के भाषण में जो सही चीज रखी गई थी उसको हमारे माननीय मंत्री महोदय ने वाइट वाश कर दिया । हाउस के सामने में यह निवेदन करूंगा कि यह पोलिटिकल एम को एचीव करने के लिए यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में ला एन्ड आर्डर की स्थिति संतोष जनक नहीं है । अगर माननीय सदस्य ने, राजस्थान के सलाहकार श्री भिड़े द्वारा स्टेट्समेन में निकाले गये आंकड़ों का मुलाहिजा फरमाया होता तो उनको पता लगता कि यह कितनी गलत बात है । कुछ फिगर्स मैं आपके सामने पेश करूंगा कि राजस्थान में वास्तविक स्थिति क्या रही है । अपने प्रांत के अन्दर सन् १९४९ में डकैती ३५१, सन् १९५० में ३३०, सन् १९५१ में २६१ डकैतियें हुई । यह नम्बर बढ़ा या घटा ?

दूसरा जो रोबरीज़ हुई हैं उनके आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

सन् १९४९ में	७२६
सन् १९५० में	६२४
सन् १९५१ में	६१५

ये फिगर्स यह बताते हैं कि रोबेरी में कमी हुई है ।

मर्डर्स के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

सन् १९४९ में	५०६
सन् १९५० में	३९९
सन् १९५१ में	४०८

सन् ५० से ५१ में कुछ ज्यादा जरूर हुए ।

चोरियों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

सन् १९४९ में	८२८ चोरियां हुई
सन् १९५० में	८१७ चोरियां हुई
सन् १९५१ में	८३८ चोरियां हुई

अगर फिगर्स सामने रखे जायं तो मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे आयंदा मिटिंग में इस बात का कन्ट्राडिक्शन कर देंगे । अगर यह सही है तो फरमाया जाय । इससे पुलिस में रिपर्कशन होगा कि पुलिस नाकाबिल है; पुलिस में खर्चा बढ़ाने की जरूरत है । लॉ एन्ड ऑर्डर के इन्तजाम मे सुधार की ज्यादा जरूरत है ।

पुलिस वाले किसी काम के नहीं। उसका नतीजा यह होगा कि पुलिस का मोरल डाउन होगा; जो डकैती, रोबरी, बर्गलिंग के केसेज बढ़े हुए बताये गये। लेकिन नये किस्म के केसेज इस तरह के प्रोपेगेन्डा के ज्यादा बढ़ गये। तीन उदाहरण मैं रखना चाहता हूं जो इन दो महिनों में हुए हैं।

३ मार्च को ४०० मीणों ने एक पुलिस स्टेशन को लूट लिया। यह जयपुर डिविजन में है।

२१ मार्च को ४०० गांव वालों ने मिल कर खन्डेला थाने के एक गांव के अन्दर पुलिस के कुछ आदमियों से चौरी से अनाज को इधर उधर करने वालों को छुड़ा लिया।

२७ मार्च को १५० गांव वालों ने मिल कर, जो कि रावत लोग थे, दूधा देवगढ़, पुलिस स्टेशन तलवाड़ा, पाली डिस्ट्रिक्ट में जो माल रिकवर किया था वापिस छुड़ा लिया। इन तीन उदाहरणों से यह प्रतीत होता है कि पुलिस डिमोरेलाइज्ड कर दी गई है। पुलिस नाकाबिल है इसलिये जनता के होसले बढ़े उनका मुकाबला करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति जो सुधर रही थी इस तरह से हालत बिगड़ रही है ऐसी परिस्थिति के अन्दर लॉ एन्ड ऑर्डर सुधारने के लिए शासन को ज्यादा रकम देना मैं वाजिब नहीं समझता हूं।

श्री जसवंतसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सारा कार्य इस ढंग से नहीं हो रहा है जैसा कि हमने कल तय किया था। हमने तय किया था कि जो कट मोशन मूव करने वाले हैं वे अपना कट मोशन मूव करेंगे। कल इसी तरह हम चले थे। जिससे हमने कल काफी काम खत्म कर दिया था। आज एक ही मोशन पर वक्त खत्म हो रहा है। जो कार्यवाही का ढंग हम लोगों नें तय किया था वह उसी प्रकार से नहीं हो रहा हैं। एक सदस्य ने कट मोशन मूव किया उस पर बहस शुरू होगई; तो मैं समझता हूं कि या तो ये सब जितने खर्चे हैं वे अपने आप पास कर लिए जायेंगे या महीनों तक यहां पर बैठ कर सभा—कार्य चलाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि जिन सदस्यों ने कटमोशन मूव किया है उनको अगर बोलने का समय दिया जाय तो हम इस मुवाफिक कार्य खत्म कर सकते हैं; नहीं तो यह होगा कि महीनों तक यहीं पर बैठ कर हमें कार्य करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष:—मैं यह चाहता हूं कि सारे कटमोशन मूव हो गये; यह समझ लिया जाय। जो सदस्य बोलना चाहें इस पर बोल सकते हैं; चाहे कटमोशन मूवर हों या अन्य कोई हों।

श्री जसवन्तसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी हैं। मेरा कल सुझाव था उससे मेरे माननीय मित्र भी सहमत थे कि जो कट मोशन मूव किया जाय उसको मूव करने वाले को बोलने का समय दिया जाय; बाद में समय रहे तो दूसरे भी बोल सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: –Those Hon' ble Members who want to speak may catch my eye and make speech one by one. It will not be necessary to call the names.

श्री करनसिंह:–माननीय अध्यक्ष, सवाल जो सामने है उस पर मुझे यह अर्ज करना है कि कटमोशन जो बहुत से सदस्यों ने मूव किये हैं उनको बोलने का मौका दिया जाय लेकिन हमारे में ऐसे भी बहुत से सदस्य हैं जिनका यह ख्याल था कि कटमोशन दे देना कोई आवश्यक नहीं; हरएक कटमोशन के समर्थन या विरोध में बोलने के लिए हरएक को समय दिया जायगा। जिससे वे अपने २ क्षेत्र के ख्यालात को जाहिर कर सकेंगे। यह ख्यालात होने की वजह से कटमोशन नहीं भेजे हैं। इससे हम अपने ख्यालात जाहिर करने से महरूम रह जायेंगे। आपके पास समय है तमाम को बोलने का मौका दिया जाय।

एक माननीय सदस्य:-माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र ने जो फरमाया उससे मैं सहमत हूं और चाहता हूं कि हरएक को बोलने का समय दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल:–माननीय अध्यक्ष महोदय, लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में हरएक सदस्य ने अपने २ विचार अलग २ ढंग से प्रकट किये हैं। मैं इस संबन्ध में दो तीन बातें अवश्य निवेदन करना चाहता हूं; जैसा कि कुछ मित्रों ने इस बजट में कमी करने के विषय में कहा है और फरमाया है कि बहुत सा रुपया इसमें व्यर्थ खर्च हो रहा है।

मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसा मानता हूं कि पुलिस के पास न तो सवारी के साधन है, न हथियार हैं और न स्टाफ है; जिससे कि वे उन डाकुओं का पीछा कर सकें, जिनके पास कि अच्छे अच्छे हथियार हैं, और उन्हें पकड़ सकें। सवाई माधोपुर के जिले में एक जगह डाका पड़ा उसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि एक बड़ा भारी डाका पड़ा और डेढ लाख रूपयों का माल डाकू ले गये। वे डाकू, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कि जोधपुर की तरफ से आये थे और उनके पास बहुत अच्छे हथियार थे। उन्होंने प्रातःकाल सबोती गांव में एक कांग्रेसी के साथ; सफेद टोपी वाले के साथ, सफेद टोपी को मुझे छुपाना नहीं चाहिये, और छुपाया नहीं जा सकता है, और मेरे मित्र इस प्रकार अपने अन्तः करण की आवाज को पहिचानेंगे तो महसूस करेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। मैं निवेदन करूंगा कि दो डाकू आये, पर्याप्त मात्रा में आये और उन्होंने गीत सुने, डाका डाला और एक विशेष व्यक्ति की तलाश की। इस तरह से पता चलता है कि वे किस भावना से आये और किस तरह से वहां की जनता को आतंकित किया। तीन बजे डाका पड़ा। यह जगह एस.पी. से ४ मील है। पुलिस आई। उनके पास सवारी का कोई प्रबन्ध नहीं था; बड़ी मुश्किल से कांग्रेस की जीप का प्रबन्ध किया गया। जीप लेकर पुलिस डाकुओं के पीछे गई जब तक डाकू भाग निकले। अगर पुलिस की व्यवस्था ठीक होती, यदि उनके पास हथियार अच्छे होते, ठीक होते और सवारी का प्रबन्ध ठींक तरह से होता तो

डाकू पकडे जा सकते थे। यदि इन लोगों को साधन न देकर बजट में कमी की जावेगी तो मैं यह कहूंगा कि लॉ एन्ड ओर्डर के संबन्ध में कोई काम सरकार नहीं कर सकेगी। मैं इसके बारे में अधिक न बोल कर दो शब्द ग्राम रक्षा दल के संबन्ध में कहना चाहता हूं।

यह कहा जाता है कि ग्राम रक्षा दल जगह जगह कायम किया जावे। यह ठीक है कि ग्राम रक्षा दल बनने से बहुत कुछ जनता का फायदा हो सकता है। मगर इसके लिये भी सरकार के सहयोग की जरूरत है। यदि सरकार का सहयोग न मिले तो यह रक्षा दल काम नहीं कर सकता। सरकार के सहयोग से मेरा मतलब पुलिस के बल आदि से नहीं है बल्कि मेरा मतलब आर्थिक सहयोग से है। यदि जगह रक्षा दल कायम हो जावेंगे तो लां एन्ड ओर्डर को मेन्टेन करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि डाकू आवे और पुलिस की मदद वहां पर जल्दी नहीं पहुंच सकती तो रक्षा दल उसी समय उनका मुकाबला करने के लिये चला आएगा। मगर उनके पास भी हथियार होने चाहिये, जीप होनी चाहिये। क्योंकि वगैर हथियार के वे क्या कर सकते हैं?

दूसरी बात एक और है माननीय अध्यक्ष, वह यह कि आर्म्स का लाइसेन्स लेने के लिए जब अर्जी देते हैं और उस पर वहां का अफसर रिकमन्ड कर देता है; फिर भी जब वह अर्जी जयपुर में आती है तो न मालूम कौनसे गहरे खड्डे में गिर पडती है कि उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिम्मेदार व्यक्तियों को आर्म्स दिये जाने चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री संतोषसिंह:-- माननीय अध्यक्ष, डकैतियों के बारे में कई सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं और शांति और व्यवस्था के बारे में चाहते है कि शांति हो। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसके बारे में कोई खास ठोस सुझाव नहीं रखा गया है। इसके बारे में मेरा खुदका अनुभव है कि पुलिस वालों को जो सवारियें मिलती हैं वे खराब मिलती हैं। जीप मिलती है तो उसके चक्के में हवा नहीं होती बन्दूकें मिलती हैं तो वे भी बिल्कुल खराब होती है। इन सारी बातों के अलावा दूसरी खास बात जो है वह यह कि जब पुलिस वाले डाकूओं का पीछा करने के लिये जाते हैं तो वे यह समझते हैं कि सरकार उनको २५ रुपये देती है। इतनी थोडी तनख्वाह में वे डाकूओं से मरने के लिये तैयार नहीं हो सकते। ऐसी हालत में यदि वे डाकूओं के पीछे जावेंगे तो अपने पूरे दिल से उनसे नहीं लड़ेंगे। इसलिये मेरा विचार है कि जो पार्टी पुलिस की डाकूओं का पीछा करने के लिये जावे उनकी लाइफ इन्स्योरेन्श करा दी जानी चाहिये। कोन्सटेबल की १० हजार की, सब इन्सपेक्टर की १५ हजार की क्योंकि सरकारी कोष में इतना रुपया नहीं कि जो आदमी डाकूओं को गिरफ्तार करने के लिये जावें और मर जावे तो उनके बाल बच्चों की रक्षा के लिये सरकार पैसा दे सके। बहुत से आदमी डाकूओं से मारे गये हैं। लेकिन उनके बाल बच्चों के लिये गवर्नमेन्ट ने पैसा भी नहीं दिया है। इसलिये मैं सरकार के सामने यह सुझाव रखता हूं कि जिस प्रकार मोटर को इन्स्योर्ड करा कर रखते हैं उसी प्रकार जो पुलिस पार्टी डाकुओं का पीछा करने के लिये भेजी जावे उनका भी इन्स्योरेन्स करा लिया जावे। इसके पैसे

सरकार देवे। यदि वह आदमी नहीं मरता है तो सरकार उसको पूरे पैसे नहीं दे; अगर मर जाता है तो उसकी लाइफ इन्श्योरेन्श से जो आवे उसके खानदान को दे दे। जब वह डाकूओं से नहीं मारा जाता है और रिटायर हो जाता है तो सरकार को चाहिये कि उसकी पोलीसी से जो रुपया आवे उसका चौथा हिस्सा उसको दे दे और बाकी अपने खजाने में रखे। यदि इस विषय में सरकार कोई ठोस कार्य करेगी तो मैं कहूंगा कि अवश्य डकैतियें बन्द हो जावेंगी। हमेशा चोरियों के मामले में ऐसा होता है कि जब किसी का माल चोर ले जाता है तो उसको अपने नौकर पर या पड़ोसी पर शक हो जाता है; चाहे उसका माल कोई दूसरा ही चोर ले गया हो मगर उसको शक सब पर हो जाता है। इसी प्रकार हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि डाकूओं को कोई खास वर्ग ही शेल्टर देता है यह तो ठीक नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि पुलिस पार्टी जिसके जीप के चक्कों में न तो हवा होती है और न उनकी जीप में पूरा पेट्रोल होता है उनका पीछा नहीं कर पाते और वे भाग जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह प्रोत्साहन तो उन्हें सरकार ही देती है; न कि कोई वर्ग विशेष।

श्री मानसिंह:-- मुझे भी दो शब्द इस पर कहने हैं।

माननीय अध्यक्ष:--ऑर्डर ऑर्डर।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-- माननीय अध्यक्ष, कटौती के प्रस्तावों को लेकर जो जो बहस हो रही है और उसमें मेरे माननीय सदस्य, विरोधी दल के नेता ने कुछ शिकायतें की और कहा कि कुछ आरोप इस अवांछनीय ढंग से किये जाते हैं, उसके ढंग के लिये तो अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है, मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरी ओर से विरोधी दल के लिये कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं होगी। मैंने एक बात अवश्य कही थी और वह भी विवश होकर कही थी कि जब कांग्रेस पर, सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि सी० आई० डी० का उपयोग कांग्रेस के विरोधियों को हेरेस करने के लिये किया जाता है, कांग्रेस के विरोधी दल को दबाने के लिये किया जाता है तो मैं यह कहूंगा कि विरोधी दल का प्रश्न नहीं था। कांग्रेस के विरोधियों की बातें कही गई थी। कांग्रेस के विरोधियों के लिये सी०आई०डी०...

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--आप अपनी स्मृति को ताजा करिये। आपने अपने भाषणों में कई जगह निर्देश किया है कि हम शान्ति और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए तैयार हैं लेकिन हाउस के दूसरे पक्ष के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह हमारा सहयोग दे। मैं समझता हूं कि यह निर्देश इस हाउस के जागीरदार वर्ग पर नहीं होता है क्योंकि संयुक्त दल में जागीरदार भी हैं और कई दूसरे ऐसे सज्जन भी हैं जो जागीरदार नहीं हैं वह यहां जागीरदारों की हैसियत से नहीं हैं, नागरिकों की हैसियत से आये हैं। जागीरदार होने के नाते आप अगर उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो अवश्य करें; लेकिन हाउस के बाहर।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र की सहायता के बावजूद और मेरे अपने प्रयत्न के बावजूद भी मुझे याद नहीं आ रहा है।

कि मैंने विरोधी पक्ष के लिए ऐसी कोई बात कही है । लेकिन मुझे याद आया कि मैंने इस हाउस में कहा है कि रिपोर्ट को निकाल कर देखा जा सकता है कि ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था पूर्णतया संतोषजनक नहीं है; ऐसा मैंने कहा है कि मुझे इस हाउस के सदस्यों का पूरा सहयोग मिले इस हाउस के अन्दर और बाहर; तो इस स्थिति को जरूर सम्भाल लेंगे। मैंने विशेष रूप से उस आश्वासन को रेफर किया था जो कि मुझ मिला था, जिसका कि विरोधी दल क सदस्य ने संकेत किया था, उसे रिपोर्ट में से देखा जा सकता है । खैर, मैं फिर भी यह दोहराना चाहता हूं कि विरोधी दल के लिए इस प्रकार की मंशा नहीं रही कि विरोधी दल किसी अराजक तत्वों को सहायता दे रहा है । व्यक्तियों की बात, अध्यक्ष महोदय, अलग है और व्यक्ति किसी भी दल में, किसी भी वर्ग में हो सकता है, नहीं हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–Deal with them as firmly as you can.

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–यह मुझे आश्वासन मिला है । इस आश्वासन के लिए कि किसी भी वर्ग; किसी भी दल के जो लोग इस तरह के पाये जायं उनके साथ सख्ती का व्यवहार किया जाय, आभारी हूं और विरोधी दल के इस आश्वासन को मैं मानता हूं जैसा कि कहा गया है लेकिन मैं इस प्रसंग में, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं अभी कह रहा था व्यक्ति किसी भी दल के हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं और यदि मैं यह भी कहूं और यह निवेदन करूं कि इस सदन के सामने माननीय सदस्यों की राय थी, उनका अन्दाजा था, लेकिन माननीय सदस्य जो विरोधी पक्ष की बैंचेज पर बैठे हैं, भी मानते हैं कि राजस्थान के एक क्षेत्र, एक विशेष वर्ग इस प्रकार की कार्यवाहियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनका अन्दाजा है कि २० प्रतिशत इस प्रकार की कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देते हैं । दूसरे एक माननीय सदस्य का अन्दाजा इससे कुछ कम का था ऐसा लगता है । यह एक विरोध नहीं किये जाने लायक बात है कि विरोधी दल ने ऐसा नहीं किया हो । लेकिन इस चीज को बिलकुल नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता कि कुछ अंशों में चाहे वह कितना ही रहा हो, कुछ क्षेत्रों में किसी वर्ग विशेष के कुछ प्रभावशाली लोग उनको प्रोत्साहन और सहायता देते रहे हैं । इस चीज को नहीं छुपाया जा सकता, न छुपाने की जरूरत है और न छुपाने का प्रयत्न करना चाहिए । मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं करेंगे ।

मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार से विरोधी दल के लिए मैंने कभी भी नहीं कहा। विरोधी दल में व्यक्ति कई वर्गों में से आ सकते हैं तो उन लोगों की जो बाहर की अपनी कोई एक्टिविटीज हों वह अलग चीज हैं; दल से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इतने स्पष्ट हैं, मेरे सामने कि उनको कोई भी नजर अन्दाज नहीं कर सकता । चुनावों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है, उससे मुझे थोड़ी सहायता मिली है, कि क्राइम तो पहले से कम हुए हैं, सन् ४८,–४९,

५० और ५१ से । उन्होंने बताया वह ठीक है, आंकड़े गलत नहीं हैं । मैं स्वयं इन आंकड़ों को प्रस्तुत करता, इस सदन के सामने; यह बताने के लिए कि कुल मिलाकर स्थिति सुधरी है और आगे भी सुधर रही है ।

मैं आ ही रहा था उस पर, जो मेरे माननीय मित्र ने पाइंट कहे हैं । मैं यही कह रहा था कि राजस्थान में कुल मिलाकर स्थिति सुधरी है । वहां निश्चित रूप से जोधपुर डिविजन में स्थिति खराब हुई है और निश्चित रूप से चुनावों के दिनों में खराब हुई है, चुनावों से ठीक पहले और चुनावों के ठीक बाद में । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य के सोचने के लिए यह तथ्य रखता हूं कि जोधपुर डिविजन ही एक ऐसा डिविजन है जिसमें कि कांग्रेस जन इस चुनाव में अधिक से अधिक हारे हैं और कांग्रेस के विरोधी लोग अधिक से अधिक जीते हैं ।

कुछ तथ्य इतने स्पष्ट होते हैं कि उनके लिए रिट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं हुआ करती । चुनावों से ठीक पहले वहां अराजकता बढी, डकैतियां बढ़ीं और मना नहीं किया जा सकता कि उनको प्रभाव चुनावों पर पड़ा और वह प्रभाव ऐसा पड़ा कि कांग्रेस–जन हारे, बहुत बड़ी संख्या में हारे और कांग्रेस के विरोधी जीते । यह इतना स्पष्ट तथ्य है कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता । सारे राजस्थान में क्राइम की स्थिति सुधरी, लेकिन जोधपुर में बिगड़ी और इन दोनों चीजों का आप सम्बन्ध देखें कि राजस्थान में एक ओर एक इलाके में जहां लॉ एन्ड ओर्डर की स्थिति अच्छी रही वहां कांग्रेस–जन ज्यादा जीते, जहां लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति खराब हुई वहां कांग्रेस के विरोधी लोग ज्यादा जीते । इससे ज्यादा स्पष्ट क्या चीज होगी इस सम्बन्ध में । यह एक अप्रिय सत्य है जो कि मेरे मित्रों को अप्रिय लगेगा ।.......(विचार जारी)

श्री कानसिंह:—जो आप कह रहे हैं कि जोधपुर में लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति खराब थी इसलिए कांग्रेस हारी, मैं इस सदन में जानना चाहूंगा कि बीकानेर डिविजन के अन्दर कोई ऐसी लॉ एन्ड आर्डर की समस्या नहीं थी जिसकी वजह से कांग्रेस को हारना पड़ा ।

श्री हरिदत्त:—भरतपुर के बारे में भी क्या विचार है?

श्री अवनिकुमार:—हर एक डिविजन के बारे में कहा जाय । इस हाउस में ओन दी होल राजस्थान की दृष्टि से सोचना चाहिए । मैं समझता हूं कि आपको अफशोस होगा........

माननीय अध्यक्ष:—नो इंटरप्शन प्लीज ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—मेरे सामने दो तथ्य रखे गये थे; विरोधी दल के माननीय सदस्यों की ओर से । एक माननीय सदस्य ने बतलाया था कि स्थिति सुधर रही है कुल मिलाकर राजस्थान में । दूसरी ओर माननीय

सदस्य ने बतलाया था कि जोधपुर की स्थिति खराब हुई है। दोनों ही सत्य हैं और इन दोनों के विरोध स्वरूप इस वादविवाद के बीच म जिस तरह की चीज आई उसके कारण मुझे स्पष्टीकरण करना पड़ा; मैं करना नहीं चाहता था।

अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव दिया गया है कि चोरियें और डकैतियें होने पर चोरों और डाकुओं के पीछे भागते रहने के बजाय पहले से ही प्रिकाशन लिया जाय यह बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं और मैं इस सदन की जानकारी के लिए यह कह दूं, अध्यक्ष महोदय, जिससे संतोष होना चाहिए, इस सदन के प्रत्येक भाग में, इधर और उधर, कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जैसा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का प्रयोग करना चाहती है जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम ज्यादा अच्छी तरह से हो, इसका कुछ उपयोग किया भी गया है। शायद मैंने निवेदन किया था कि सोमानी केस में जिन प्रभावशाली व्यक्तियों का हाथ था उनको हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में रखा है। और भी कुछ केसेज ऐसे आ सकते हैं और मैं मानता हूं कि ऐसा जो भी कदम सरकार उठायेगी उसमें सरकार को समर्थन मिलेगा सभी दलों का, सभी वर्गों का, इस सदन में। तो मैं मानता हूं कि इस बात का उद्देश्य........(विचार जारी)

श्री तेजसिंह--जो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन सबको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में रखेंगे क्या ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--इसमें शंका की कोई बात नहीं है सभी प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे कामों में लगे रहते हों; ऐसी बात तो नहीं है। कोई २ जो ऐसी हरकतों में दिलचस्पी लेते हुए, योग देते हुए, दिखाई देंगे उन्हीं के खिलाफ उसका प्रयोग किया जायगा। अब तक तो बहुत थोड़े लोगों के खिलाफ किया गया है जो कि ऐसी हरकतों में भाग लेते हैं। बाकी अन्य जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनका जितना आदर सम्मान होना चाहिए होगा। इस प्रकार का भय किसी क्षेत्र में होने की जरूरत नहीं, किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। मैं सच्चे दिल से आश्वासन देता हूं कि इसका प्रयोग आम तौर पर प्रभावशाली तबके के खिलाफ नहीं किया गया; केवल उन्हीं के खिलाफ कदम उठाया जायगा......(विचार जारी)

श्री कपिलदेव:--यह आश्वासन तो सच्चे दिल से दिए गए हैं और दूसरे आश्वासन कैसे दिए गए हैं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार, इस तरह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ माननीय सदस्यों को इस प्रकार की आशंका होने लगी। मैं यह मानता हूं कि असल में इस सदन के सभी माननीय सदस्य अपने इस राज्य की शासन--व्यवस्था, लॉ एन्ड आर्डर, को भली भांति बनाए रखने में, उसको सुधारने में दिलचस्पी रखते हैं, उसमें सहयोग देंगे और मैं उस सहयोग के विश्वास को मानता हूं और अपनी तरफ से मैं यह फिर उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कभी किसी ने नहीं सोचा कि विरोधी दल

का किसी प्रकार का किन्ही कामों में कोई हाथ रहा हो या उनके कारण जो कुछ कहा गया, दूसरे माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह केवल इतना कहा गया है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की अराजकता में शरीक रहे हैं या उसमें सहयोग देते रहते हैं। और वह कौन से तत्व हैं उनका किस दल से क्या सम्बन्ध है, यह तो कभी किसी ने नहीं कहा। जो नहीं कहा गया है उससे ज्यादा अन्दाजा नहीं लगाना चाहिए और अन्दाजा लगाना भी शायद रूचिकर नहीं होगा।

जहां तक इस हाउस में, इस सदन में, अच्छी परम्पराओं और अच्छे वातावरण का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, जितनी चिन्ता इस बात की मेरे माननीय मित्र को हो सकती है उससे कम इधर भी किसी ,को नहीं है। हम भी चाहते हैं कि अच्छी परम्पराएं बनें; हमारे यह वादविवाद अच्छे स्तर पर रहें। हम अच्छे स्तर पर रहें। हम अच्छे स्तर पर रखने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी कोई २ माननीय सदस्य हैं, गलत ढंग से बहस उठाते हैं कि उनका उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है। यह तो नहीं चाहेंगे कि आरोप किए जाएं, गलत या सही, और उनका उत्तर नहीं दिया जाय।

श्री जसवन्तसिंह:--सरकार भले ही आरोप लगा सकती है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल--सरकार कभी आरोप नहीं लगा सकती है। अगर कभी ऐसा किया गया है तो मुझे बतलाया जाय, तो मैं उसको वापस ले लूंगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि साफ तौर पर यह कहा जाय कि सरकार सी.आई.डी का उपयोग कांग्रेस के विरोधियों के खिलाफ उपयोग में लाती है। उनकी स्पीचों में ऐसी गलत बातें कही जायं तो उनका उत्तर देना और सही उत्तर देना आवश्यक था। इत्तफाक से कोई कांग्रेस विरोधी डाकू हो, और वह पकड़ लिया जाय तो उसे केवल इसी आधार पर कि वह कांग्रेस का विरोधी है, छोड़ा नहीं जायगा। मैं किसी दल और खास तौर से विरोधी दल की ओर संकेत करता हूं, इसका यह अर्थ कभी भी नहीं हो सकता है।

मैं बहुत लम्बी चौड़ी बहस में नहीं जाऊंगा। एक दो सुझाव कई मित्रों ने अच्छे रखे हैं उनके बारे में सरकार जरूर ध्यान देगी और हम सोचने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी एक मित्र ने इंश्योरेन्स के बारे में कहा है, वह सुझाव ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारे सिपाही और आफिसर्स जिनसे हम सेवाएं लेते हैं, उनके पीछे के लिए भी कोई अच्छा इंतजाम होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हम उन सुझावों को कार्य रूप में परिणत कर सकेंगे। लेकिन मैं सोचता हूं कि सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी। जो भी कमियां बताई हैं जो हमारे साधनों की है, हमारी पुलिस और सी. आई. डी. के साधनों में कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए ही हमने इस बार बजट में ज्यादा प्रोविजन किया है। इस बारे की कमियों को दूर करना चाहते हैं, विभिन्न सर्विसों की एफिशियेंसी को बढ़ाना चाहते है।

जहां तक आम तौर से लॉ एन्ड आर्डर और विशेष रूप से जोधपुर डिविजन के लिए, जो माननीय मित्र ने कहा है उसकी गम्भीरता से आप पूर्णतया परिचित हैं। मैं जल्दी से जल्दी कुछ क्रियात्मक कार्यवाही- करना चाहता हूं कि उस स्थिति को सुधारा जाय। उसको सुधारने के लिए जितने आप चिन्तित हैं मैं भी अगर उतना नहीं हूं तो थोड़ा बहुत जरूर हो सकता हूं ।

एक चीज, अध्यक्ष महोदय भाषण समाप्त करने से पहले मैं और निवेदन करदूं कि मेरे माननीय मित्र ने थोड़े जोश के साथ कहा है कि इस प्रकार के संकेत किए जाते हैं कि जो अवांछनीय है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी ओर से इस प्रकार के संकेत हों; इस दल में या उस दल में, इधर से या उधर से ऐसा हुआ है तो ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे ही क्षण, यह देखकर मुझे नाराजगी तो नहीं है, नाराज होने का तो मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन थोड़ी मन में हंसी आई कि जब एक माननीय मित्र खादी और सफेद टोपी पहनें हुए डाकुओं की चर्चा कर रहे थे तो मेरे बहुत से माननीय मित्र बहुत जोरों से तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे यह ठीक प्रतीत नहीं होता ।

अन्त में मैं यह समझता हूं कि बहस के दौरान में कई बातें रुचिकर हुई होंगी और कई अरूचिकर । लेकिन जो मूल बात है उसको हमें देखना है। वह मूल बात यह है कि इस सदन के हम सभी लोग चाहें इस पक्ष के हों, सरकारी बेचेंज पर बैठे हों या उस पक्ष के हों, उनका यह कर्त्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम सब मिल करके ऐसी चेष्टा करें, कोशिश करें कि हम इस प्रान्त में सुख और शांति को वास्तव में लाए; इस प्रान्त की गरीब असहाय जनता, कमजोर जनता को हम सुख से, शांति से, निर्भय जीवन व्यतीत करने के साधन उपलब्ध करायें । मुझे यह विश्वास है कि जो कुछ भी काम सरकार करेगी उसमें विरोधी पक्ष की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा । जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं उनके शब्दों की उनके आश्वासन की पूरी कीमत करता हूं । जब हम यह मान लेते हैं तो कहीं भी आपसी नाराजगी कोई नहीं रह जाती। यदि किसी मनचले या प्रखर बुद्धि के मित्र ने बात कही हो और जो किसी को चुभी हो तो हम उसको भूल सकते हैं, आपस में आगे के लिए ठीक ढंग से, गम्भीरता से, इस हाउस में इस विषय के लिए जो गम्भीरता की जरूरत है, वह लेगें। मैं नहीं कहता कि सदा गमगीन बने बैठे रहें, कभी भी हाउस में मजाक नहीं करें। यह ठीक है कि कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कोई कटु बात कहने में आये तो हम उसको लेकर बैठ जायं और इस पर रिपरकशन होने लगे; इधर उधर से कहा सुनी की जाय । तो मुख्य प्रश्न जो हमारे सामने है उस पर हम सबका ध्यान

होगा। इस वाद विवाद में इस नतीजे पर सभी माननींय सदस्य पहुंचेंगे कि जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें जहां तक सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात है, किसी विशेष प्रश्न को लेकर, जैसा कि जोधपुर की स्थिति के बारे में कहा गया है, मैं मानता हूं कि यह वाजिब चीज है सरकार इसके लिए बड़ी चिन्तित है। मैं समझता हूं कि इस विषय में मेरा यह आश्वासन काफी है। मैं मानता हूं कि वह इससे अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। इसी प्रकार दूसरी बातें भी कही गई है उनमें कई सही कही गई है; मैं मानता हूं इसके बारे में बहुत हदतक सही है दूसरी कई एक बातें जो सी०आई० डी० के बारे में कही गई हैं वह सर्वथा असत्य कही गई है। ऐसी अवस्था में जो कटौती प्रस्ताव आया है वह भी वापिस लिया जाय। सही तथ्यों को लेकर के उनको मेरे इस आश्वासन के बाद वापिस लिया जाना चाहिये यह सोचकर कि सरकार इस तरफ प्रगतिशील सुधार कर रही है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आश्वासन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं उनके आश्वासनों की, क्रियात्मक रूप से कार्यान्वित होने के लिए, प्रतीक्षा करता रहूंगा। इसी आशा पर मैं अपना कटौती–प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष:–सदन के सामने प्रश्न यह है कि श्री इन्द्रनाथ मोदी को अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ४ वापिस लेनेकी आज्ञा प्रदान की जाय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–मैं कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री दामोदरलाल:–माननीय अध्यक्ष, मैंने कट मोशन इस आशय से पेश किया है कि पुलिस डिपार्टमेन्ट में जो करप्शन फैला हुआ है उस ओर माननीय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया जाय। करप्शन के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं इस करप्शन को मिटाने में दो राय नहीं होसकती। करप्शन जिस तरह का भी है वह बहुत काफी है इसमें दो राय नहीं हो सकती। मुझे तो सरकार को करप्शन हटाने के लिए कुछ सुझाव पेश करने हैं। वे यह है कि करप्शन बन्द करने के लिए जो कुछ होना चाहिये उस तरफ मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एन्टी करप्शन कमेटी पहले जयपुर स्टेट में काम कर रही थी। उस समय माननीय मुख्य मंत्री भी उस समय के मंत्री मंडल में थे उनको इस बात का तजुर्बा होगा कि कमेटी ने बहुत हदतक करप्शन पर अंकुश रखा। मैं समझता हूं इसी तरह की कमेटी बनाई जाय; लेकिन उस तरह की

कमेटी न बनाकर दूसरी तरह की कमेटी बनादी गई है क्या वह अबतक राजस्थान में करप्शन को रोक सकी है या उसको नष्ट कर सकी है ।

माननीय अध्यक्ष:—क्या आप कट मोशन को मूव कर रहे हैं या विड्रा कर रहे हैं।

श्री दामोदर लाल:— मैं करप्शन की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कर कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष:—कट मोशन मूव हो चुका, आप इसको विड्रा करना चाहते हैं या और कुछ ?

श्री दामोदर लाल:— मैं वापिस लेना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न यह उपस्थित है कि निम्नलिखित जो कट मोशन श्री दामोदरलाल व्यास ने सदन के सामने रखा है उसको वापिस लेन की आज्ञा प्रदान की जाय :–

"That the demand under the head Police be reduced by Re. 1/- (to discuss inefficiency and Corruption rampant in the Police Department)."

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री दामोदरलाल व्यास:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर ५ वापिस लेता हूं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:–मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ६ जो इस प्रकार है वापिस लेना चाहता हूं:–

"That the demand under the head 'Police' be reduced by Re. 1/- (to discuss the inefficiency and the corruption of the Police Department)."

माननीय अध्यक्ष:- सदन के सामने प्रश्न यह है कि कटौती का प्रस्ताव नम्बर ६, जो श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर ६ वापिस लेता हूं ।

श्री तेजमल बापना:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ७ जो इस प्रकार है वापिस लेना चाहता हूं:–

"That the demand under the head 'Police' be reduced by Re. 1/- (to discuss that the police has failed to maintain law and order and check corruption)."

माननीय अध्यक्ष:--सदन के सामने प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव नम्बर ७ जो श्री तेजमल बाफना ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री तेजमल बापना:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर ७ वापिस लेता हूं।

श्री कपिलदेव:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर ८ जो इस प्रकार हैं वापिस लेना चाहता हूं:--

"That the demand under the head 'Police' be reduced by Re. 1/ (to discuss the failure of the Government in uprooting corruption in the Police staff)".

माननीय अध्यक्ष:--सदन के सामने प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव नम्बर ८ श्री कपिलदेव को वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री कपिलदेव:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मानसिंह:--अध्यक्ष महोदय जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखा है और जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में नम्बर १० पर निम्न प्रकार का ह उस पर न तो कोई बहस हुई है और न मुझे बोलने का मौका दिया गया है इसलिये मैं आज्ञा चाहता हूं कि मुझे मेरे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया जाय:--

"That the demand under the head 'Police' Superintendence be reduced by Rs. 100/- (i. e. to show displeasure with the appointment of Shri Bindra as I. G. P. and keeping of high paid retired officers from outside and putting efficient Rajasthan Officer either on the Surplus list or on unimportant parts)".

माननीय अध्यक्ष:--जितने भी कटौती प्रस्ताव थे उन सब को सदन के सामने प्रस्तुत माना गया था और जो वाद विवाद हुए वे सभी प्रस्तावों पर हुए थे यदि आप चाहें तो इसे हाउस के सामने वोट के लिये रखा जाय।

श्री मानसिंह:--अध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन्हें बोलने का मौका दिया जायगा ऐसा फरमाया गया था।

माननीय अध्यक्ष:--अगर वे बोलने के लिये खड़े होते तो अवश्य मौका दिया जाता।

माननीय अध्यक्ष:--डू यू वान्ट टू पुट इट टू वोट ?

श्री मानसिंह:—मैं इसे वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न उपस्थित है कि जो कटौती प्रस्ताव नम्बर १० श्री मानसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री मानसिंह:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर १० दुःख के साथ वापिस लेता हूं ।

श्री कपीलदेव:—वापसी में दुःख का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री संपतराम:—हाउस का कोई मेम्बर दुखी है तो इसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिये कि वे दुखी क्यों हैं ।

श्री मानसिंह:- क्योंकि इस विषय पर मुझे बोलने की आज्ञा नहीं मिली इसलिये दुखी हूं ।

श्री भैरोंसिंह:--माननीय अध्यक्ष, मेरा जो ३ नम्बर का कटौती प्रस्ताव है उस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई । यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी इसका उत्तर दें तो अच्छा हो ।

माननीय अध्यक्ष:--डू यू वान्ट टू पुट इट टू वोट ?

श्री भैरोंसिंह:—यस सर ।

श्री जसवन्तसिंह:- जहां तक मैं समझ सकता हूं कि इसका मतलब यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पर अपनी टिप्पणी करते तो अच्छा रहता ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल: -अध्यक्ष महोदय, एन्टी करप्शन ब्रान्च पर जो कट मोशन है उस के बारे में मेरे पहले जो प्रश्न आये थे तब बतलाया था कि हम एन्टी करप्शन ओरगेनिजेशन को रीओर्गेनाइज कर रहे हैं और जल्दी ही वह अच्छी तरह से काम करने लगेगा ।

आर्म्ड कान्स्टेब्युलेरी के बारे में फिर क्लियर करदूं कि राजस्थान में ही नहीं; और भी जितने सरहदी राज्य हैं उन सब में बोर्डर की पुलिस ड्यूटी देती है । ओर्डिनरी पुलिस वहां पर काम नहीं किया करती है । यह ठीक है कि हमारे ऊपर बड़ा भारी खर्च पड़ता है । केन्द्र से हमने कहा भी है और हम चाहते हैं कि इस भार को वह हल्का करे और अपने ऊपर लेले; परन्तु हम अपने फर्ज से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते । ब्रोर्डर पर हमारी आर्म्ड पुलिस कान्सटेब्युलरी काम करती है । इसके बीच में मिलिटरी सेन्टर्स है । मिलीटरी अपने हिस्से का काम करती है और पुलिस अपने हिस्से का काम करती है । हमारे हिस्से का काम

भारी है इसलिये हम केन्द्र से विशेष रूप से सहायता लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि वे पूरा भार अपने पर लेलें या बहुत हद तक लेलें जिससे कि हमारा भार उतर जाय ।

इसी प्रकार रेलवे पुलिस के बारे में अर्ज करना है कि रेलवे आजकल जरूर सेन्टर की ह लेकिन रेलवे पुलिस का एरेन्जमेन्ट उस राज्य को करना पड़ता है जिसकी हद में से रेल जाती है । इसलिय यह कोई नई बात नहीं है ।

श्री मानसिंह:--आपत्ति। जयपुर में कई जगह ऐसी हैं जहां राजस्थान पुलिस का कोई इन्तजाम नहीं है ।

श्री कपीलदेव:--देअर इज नो सेपरेट जयपुर (कोई अलग जयपुर नहीं है)

श्री भैरोंसिंह:- राजस्थान स्टेट समझ लीजिये ।

श्री कपीलदेव:--माननीय सदस्य कहेंगे तब समझेंगे ।

श्री भैरोंसिंह:--माननीय मुख्य मंत्री के आश्वासन पर मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ११ जो इस प्रकार हैं वापिस लेना चाहता हूं:-

"That the demand under the head 'Police (f)' (ii) Anti-corruption Branch, page 55, be reduced by Re. 1/- (the small amount fixed for it can serve no purpose to check the allround prevailing corruption)."

माननीय अध्यक्ष:--प्रश्न उपस्थित है कि जो कटौती प्रस्ताव नम्बर ११ श्री भैरोंसिह ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री भैरोंसिंह:--सदन की आज्ञा से मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ११ वापिस लेता हूं ।

श्री भैरोंसिंह:--माननीय मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन पर मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० १२ जो इस प्रकार है वापिस लेना चाहता हूं:-

"That the demand under the head 'Police' part (d) (i) Rajasthan Armed Constabulary, page 51-52, be reduced by Re. 1/- (as forces for the border protection should be deputed by the centre)."

माननीय अध्यक्ष:--प्रश्न उपस्थित है कि जो कटौती प्रस्ताव नम्बर १२ श्री भैरोंसिह न रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री भैरोंसिंह:--मैं अपना प्रस्ताव नं० १२ वापिस लेता हूं ।

श्री भैरोंसिंह:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० १३ जो इस प्रकार है वापिस लेना चाहता हूं ।

"That the demand under the head 'Police' part (e) page 54 be reduced by Re. 1/- (i.e. as the Rajasthan Railway had been handed over to the Centre, there is no need of maintaining police)".

माननीय अध्यक्ष:--प्रश्न उपस्थित है कि जो कटौती प्रस्ताव नं० १३ श्री भैरोंसिह ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री भैरोंसिंह:--मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर १३ वापिस लेता हूं ।

श्री मंगलसिंह:--नं० १४ का प्रस्ताव जो इस प्रकार है मैं रखना चाहता था लेकिन और प्रस्तावों पर जो बहस हुई उसे मैंने सुना और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो आश्वासन दिया है उसे देखते हुए मैं उसे वापिस लेना चाहता हूं –

"That the demand under the head 'Police' be reduced by Re.1/- (to discuss that the weak-kneed policy of the Government in maintaining law & order in the State)".

माननीय अध्यक्ष:--प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव, संख्या १४, डाक्टर मंगलसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

डाक्टर मंगलसिंह:–मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १४ को वापिस लेता हूं ।

श्री रामदयाल:--माननीय अध्यक्ष, मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है उसको देखते हुए मैं अपना कट मोशन नम्बर १५ वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं:–

"That the demand under the Head 'Police' be reduced by Re. 1/- (to discuss that the department has failed to establish Law and Order in the State)".

माननीय अध्यक्ष:--सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि जो कटौती प्रस्ताव, संख्या १५, श्री रामदयाल ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जावे ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री रामदयाल:—मैं हाउस की आज्ञा से अपना कट मोशन नं० १५ वापिस लेता हूं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु:—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना प्रस्ताव संख्या १६ जो इस प्रकार है वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं:–

"That the demand under the Head 'Police' be reduced by Re. 1/-(to discuss the inefficiency of R. A. C. on the border.)"

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि जो कटौती प्रस्ताव, संख्या १६, श्री गुरुदयालसिंह संधु ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जावे।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री गुरुदयालसिंह संधु:—मैं हाउस की आज्ञा से अपना कट मोशन नम्बर १६ वापिस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—अब सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है:–

"That a sum not exceeding Rs. 2,80,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of grant No. XIII Major Head 29-Police."

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ११ मेजर हेड २७ न्याय-प्रशासन

माननीय अध्यक्ष:—अब रामकिशोर व्यास अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—Mr. Speaker, Sir, I move that a sum not exceeding Rs. 26,41,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XI Major Head 27 Administration of Justice.

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत है: That a sum not exceeding Rs. 26,41,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XI Major Head 27—Administration of Justice.

(विराम)

माननीय अध्यक्ष:-अब श्री इन्द्रनाथ मोदी इस पर अपना कट मोशन पेश करें:-

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-माननीय अध्यक्ष, मेरा कट मोशन इस प्रकार है:-

"That the damand under the head 'Administration of Justice' be reduced by Rs. 100/- (to discuss the question of the separation of judiciary from executive.)"

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने की कदाचित आवश्यकता नहीं है कि इस विषय को लेकर मैंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें मुझे स्वभावत: यह कहना पड़ेगा कि किसी प्रान्त के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि शांति और सुरक्षा के बाद उसके न्याय की स्थिति क्या है । शान्ति और सुरक्षा व न्याय का परस्पर गहरा सम्बन्ध है । पहले भी इस सम्बन्ध में संकेत रूप से मुझे इस सदन में यह कहने का अवसर हुआ है कि हमें अपने प्रान्त में स्वेच्छाचारिता का राज्य नहीं चाहिये; स्वेच्छा का राज्य नहीं, चाहिये नैतिक राज्य, न्याय का राज्य । तभी हमारे राष्ट्र में सुख और शांति का राज्य स्थापित किया जा सकता है । इस भावना को लेकर मैंने यह कटौती प्रस्ताव हाउस के सामने प्रस्तुत करने का साहस किया है। इस सदन में बहुत से महानुभाव ऐसे अवश्य हैं जिनको मालूम है कि यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है और इस पर विशेष विवेचन करने की आवश्यकता नहीं । लेकिन कुछ ऐसे सज्जन भी अवश्य हैं जो शायद इस बात के जानने को उत्सुक हैं कि आखिर इस प्रश्न से हमको क्या मतलब है । उनको लेकर मैं थोड़े से शब्द में, इस हाउस का ज्यादा समय न लेता हुआ कुछ बातें कहूंगा । माननीय अध्यक्ष, जहां तक हमारे प्रान्त में दूसरे प्रान्तों की तरह न्याय व्यवस्था का सवाल है, सब के ऊपर प्रांन्तीय हाई कोर्ट हैं । उस हाई कोर्ट के जज हमारे भारतीय यूनियन के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । उनके वेतन में भी उनकी नियुक्ति के बाद कमी नहीं की जा सकती और उनका अवधि-काल भी निश्चित होता है । और यह सारी बातें इसलिये विधान में रखी गई हैं कि हमारा न्याय सर्वोच्च न्याय हो । जजों की स्थिति शासन सूत्र से अलग हो, ऊपर हो; वे उसके प्रभाव में किसी प्रकार से न आ सकें । इस सर्वोच्च न्यायालय के नीचे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्टस है । इन अदालतों के जज भी हाई कोर्ट की सलाह से नियुक्त किये जाते हैं । इसलिये हम मान लें कि इस दर्जे तक शासन विभाग द्वारा कोई अनुचित हस्तक्षेप होने की संभावना नहीं है । लेकिन जब हम इस सतह से नीचे जाते हैं तो फिर हमें यह देखने को मिलता है कि न्याय और शासन विभाग मिश्रित हैं । इस स्तर पर हमारे न्याय-विभाग की दो शाखायें हैं; एक राज्य की दीवानी अदालतें और दूसरी फौजदारी अदालतें जहां तक दीवानी अदालतों का सम्बन्ध है उनका कार्य-सम्पादन, उनके जजों की नियुक्ति, उनके तबादले, उनकी तनख्वाहें और अनुशासन सम्बन्धी बातें हाई कोर्ट द्वारा समुचित रूप से निश्चित होती हैं । लेकिन दूसरी ओर जहां तक फौजदारी अदालतों का सम्बन्ध है उनमें आम हाई कोर्टों की आम देख रेख के सिवाय, जिसका

कोई विशेष महत्व नहीं है, मेरी साधारण बुद्धि में, उनका प्रबंध, उनके जजों की नियुक्तियां, उनके वेतन, उनके तबादले यह सारी बातें एक्जिक्युटिव के द्वारा की जाती है।

जिस योजना को लेकर मैंने आपके सामने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसके मायने यह हैं कि यह जज हाई कोर्ट के नियंत्रण के मातहत रहने चाहिये। जब तक यह सुधार हमारी न्याय प्रणाली में नहीं होता तब तक माननीय अध्यक्ष, आप मुझे क्षमा करेंगे, यदि मैं आपसे यह निवेदन करूं, इस हाउस की जानकारी के लिए कि हमें यह विश्वास नहीं हो जाता कि हमारे फौजदारी न्यायालयों में हमें अमिश्रित शुद्ध और पवित्र न्याय मिल सकता हैं। एक तरफ जहां जजों का सम्बन्ध है, उनके फैसलों की अपीलें हाई कोर्ट और सैशन कोर्ट में होती है लेकिन दूसरी तरफ जहां तक सारे अनुशासन के मामले उनसे सम्बन्ध रखने वाले, उनके तनख्वाहों के मामले, उनकी तरक्कियों के मामले, उनके तबादलों के मामले यह सारे शासन के आधीन हैं। इसलिए न तो हाई कोर्ट के लिए समुचित प्रोत्साहन है कि वे इन जजों के काम काज को कड़ी निगाह से देखे ;ऐसा होता भी नहीं है, जहां तक मेरा अनुभव है और यें जज लोग जो फौजदारी सीगे में काम करते हैं, हमारे शासन को ओर आंख उठाकर देखते रहते हैं, परमुखापेक्षी अक्सर हमें यह देखने को मिलते हैं। जो उनकी अदालतों में न्याय मिलता है वह इतना शुद्ध नहीं है और न विश्वास पैदा करने के लायक है। मैं आपसे अपने सारे दल के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस राष्ट्र में शुद्ध न्याय नहीं मिल सकता वह राष्ट्र उन्नत नहीं कहा जा सकता, प्रगतिशील कहा नहीं जा सकता। मैं तो कहूंगा कि प्रजातन्त्रात्मक भी नहीं कहा जा सकता। इस दिशा में जब मैं सोचता हूं कि मुझे एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ की बात याद आती है। उसने अपने बादशाह के सन्मुख एक समय कहा था कि वह दिन हमारे देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा जब हम अपने एग्जिक्युटिव में विश्वास खो बैठेंगे, वह दिन और भी हमारे देश के लिऐ बड़े ही दुर्भाग्य का होगा जब हम अपने राष्ट्र के लेजिस्लेचर, विधान सभा में विश्वास खो बैठेंगे; उसने आगे चल कर कहा। लेकिन वह दिन हमारे राष्ट्र और देश के लियें सबसे अधिक दुर्भाग्य का होगा जब कि हम अपने न्यायालयों में विश्वास खो बैठेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि न्यायालयों का हमारे देश की व्यवस्था में कितना ऊंचा स्थान है। और कहना नहीं होगा कि यह न्यायालयों के जजों की नियुक्तियां किसी राजनीतिक दृष्टि कोण को लेकर नहीं होना चाहिए, वह कोई दाव पेच की की बात या किसी किस्म की हल्की भावना से इन न्यायालयों कि नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सब तभी हो सकता है जब हमारे प्रान्त में न्याय का शासन हो, ऐसी न्याय व्यवस्था हो, न्याय प्रणाली ऐसी हों, जिसमें हरेक सख्स छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब, राजा और रंक सभी को यह विश्वास हो कि हमें शुद्ध न्याय मिलेगा, वगैर किसी डर के, वगैर किसी डरके असर के, वगैर किसी छोटे बड़े की भेदभाव की भावना के। मैं समझता हूं कि इस छोटी सी बात से आपको विश्वास हो गया होगा कि जिस बात को लेकर मैंने यह कटौती प्रस्ताव इस हाउस के सम्मुख पेश किया है वह उचित है, वह हमारे प्रान्त को आगे लेजाने वाला है, वह हमारे

प्रान्त की जनता के जीवन को सुख शान्ति मिले की ओर ले जाने वाला है। खास तौर से प्रजातांत्रिक देश में जो आम जनता के लिए तसल्ली का काम करती हों, एक्जीक्युटिव द्वारा कई मर्तबा जोश में, -आवेश में आकर ऐसे कदम उठाये जा सकते हैं जिनको सर्वथा न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। उनके सामने कई भावनायें होती है, कभी २ आर्थिक भावनायें रहती है, कभी दलगत भावना रहती है, और कई मर्तबा किसी खास द्वेष या अपने कटु अनुभव को लेकर कई बातें देखने को मिलती है। लेकिन इस सब, कुव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अगर एक प्रजातांत्रिक देश में कोई न्याय के रक्षक कहे जा सकते हैं तो मैं समझता हूं वह हमारे न्यायालय हैं। और इसीलिए माननीय अध्यक्ष, मेरा इस हाउस से यह अनुरोध है कि हमें अपनें ज्युडिशयरी को जितना जल्दी हो सके एक्जीक्युटिव से अलग करना है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जिस क्षेत्र से मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसने इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति भी की थी। हमने इस ओर एक कदम उठाया था लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सका और इन्टीग्रेशन के सवाल को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई कि जिससे हम जितने आगे बढ़े हुए थे हमें अपने पड़ौसियों को देखकर पीछे हटना पड़ा। ऐसा कभी २ हुआ करता है, लेकिन मैं गुज़रे हुए जमाने की बात पर कोई विशेष जोर देना नहीं चाहता। मेरा तो आपसे, इस हाउस के सदन के सदस्यों से नम्र निवेदन है कि महरबानी कर के इस प्रश्न को इसकी असली गहराई से देखें, जनता की भलाई की भावना से देखें और अगर आप इसे इसी दृष्टि-कोण से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसा है जिसमें कोई दलगत भावनाओं का समावेश हो ही नहीं सकता। बल्कि मेरा तो यहां तक निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रश्न को लेकर तो कोई अब बहस की गुंजाइश ही नहीं है। जहां तक मैं भारतीय संविधान से वाक्फियत रखता हूं, मैं समझता हूं कि उसमें भी इस सिद्धान्त का समावेश है और हमारे लिए निर्देश है कि जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी हम इस दिशा की ओर आगे बढ़ें कि जिससे हमारा न्याय विभाग शासन विभाग के प्रभाव से अलग रहे। बस इन्हीं भावनाओं को लेकर मैंने चन्द शब्द आपके सम्मुख पेश किएं हैं। मैं नहीं चाहता कि इस मामले को लेकर वाद विवाद हों या कुछ इधर उधर की बातें कही जायं। मेरा मतलब इस प्रस्ताव से खर्चे की कमी के सम्बन्ध में नहीं है बल्कि मैं तो समझता हूं कि यदि आपने मेरा प्रस्ताव माना व उसे सद्भावना के रूप में कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया तो आपको अधिक खर्चा करना पड़ेगा। बात असल में यह है कि इस हाउस में पार्लियामेंट प्रणाली के दृष्टिकोण से हम कुछ नये से हैं। जहां कटौती के प्रस्ताव का जिक्र होते ही सहज ही में कुछ सदस्यों के दिल में यह भावना उठती है कि यह हरेक में कटौती की बात करते हैं; लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। बात तो यह है कि यह एक पार्लियामेन्ट्री पद्धति है कि जब बजट के अवसर पर हम किसी सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं तो सांकेतिक रूप से कोई कटमोशन पेश करें और उसको लेकर हमें कुछ अपने विचार अपने प्रान्त की भलाई के, अपने प्रान्त की प्रगति के लिए पेश करने का मौका मिले।

माननीय अध्यक्ष:--सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत हुआ कि श्री इन्द्रनाथ मोदी का ग्रान्ट नम्बर ११- मेजर हैड २७ एडमिनिस्ट्रेशन ओफ जस्टिस पर जो कट मोशन नम्बर १ है उसे स्वीकार किया जाय

(अस्वीकृत)

मैं क्या इस सदन के सदस्यों की यह अनुमति मानलूं कि कटमोशन नं० २,३,४ तथा ५ जो इस प्रकार हैं उन्हें सदन के सामने प्रस्तुत किये हुए समझ लिये जायें:--

(सदन ने स्वीकृति दी)

"2. **Shri Sohanlal**:—To move that the demand under the head 'Administration of Justice' be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government for not combining the Magistrate's courts with that of Munsiffs).

3. **Shri Sohanlal**:-To move that the demand under the head 'Administration of Justice' be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government for not providing Circuit Courts of High Court at the Commissioner's head quarters of Udaipur Bikaner and Kotah).

4. **Shri Kapil Deo**:-To move that the demand under the head 'Administration of Justice' be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government in not separating the executive from the Judiciary).

5. **Shri Shyam Lal**:-That the demand under the head 'Administration of Justice' be reduced by Re. 1/- (to discuss the Circuit Munsiff Courts, Circuit Munsiff Magistrate Courts)."

(सदन ने स्वीकृति देदी)

श्री सोहनलाल:--माननीय अध्यक्षजी, मेरे जो कटमोशन नं० २ तथा ३ हैं वे एक ही सवाल के ऊपर हैं, इसलिए दोनों ही कटमोशन के बारे में मैं २-४ शब्द अर्ज कर देना चाहता हूं ।

जहां तक कटमोशन नं० २ का प्रश्न है मेरे विरोधी दल के माननीय उपनेता ने इसके सिद्धांतों के बारे में काफी प्रकाश डाला है । मैं इसके सिद्धांतों के बारे में तो ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य अर्ज कर देना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो सेपरेशन ऑफ ज्युडिशीयरी फ्रोम एक्जीक्युटिव का सवाल है वह हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा गार्जियन (संरक्षक) है ।

मैं दूसरी बात जो अर्ज करना चाहूंगा वह यह है कि उन्होंने यह फरमाया था कि जिस जगह से वे आये वह इस तरफ प्रगति कर रही थी और उससे हमें पीछे हटना पड़ा। जिस फॉर्मर राजस्थान से मैं आया हूं, वहां के लोगों ने महसूस

किया है कि इस तरफ जैसा हम लोगों ने कदम बढ़ाया था, उस रियासत ने कदम उठाया था, मुन्सिफ और मजिस्ट्रेशन कोर्ट कायम की थी, उसको खत्म करने में मेरे ख्याल से एक नया सिद्धांत सामने रखा गया । इस नये राजस्थान में, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमें इस नये कदम से पीछे हटना पडा है। हमे मानना पडा है कि अलग २ बातों में, अलग २ विभागों में हम आगे बढ़े हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के सवाल के सम्बन्ध में हमें मंजूर करना पड़ेगा कि हमें एक कदम पीछे हटना पडा है; तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इससे उन लोगों का कितना काम बढा है, खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट, जो तहसीलों में रहने वाले हैं, और तहसीलों के अन्दर जो न्यायालय हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पडा; वह संक्षेप में मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं ।

सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह पुराने फॉर्मर राजस्थान के अन्दर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट थी, छोटी २ तहसीलों में, छोटे २ उप-जिलों में काफी काम होता था, और हैड क्वार्टर्स में कोर्टस मौजूद थीं । इस नये राजस्थान के निर्माण के बाद यह हुआ कि मुंसिफ और मजिस्ट्रेट कोर्ट विभक्त कर दी गई, उसको देखते हुए और पुराने तरीकों को देखते हुए उनसे कुछ दिनों के लिए मुंसिफ कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट तथा एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट को अलग २ रखा । लेकिन जैसा हुआ वह इस सदन को विदित है कि छोटे २ हैडक्वार्टर्स पर जो कोर्टस थीं, उन दोनों न्यायालयों को अलग अलग कर देने से अधिक कार्य नहीं रहा, जिसकी वजह से छोटे २ हैड क्वार्टर्स सलूम्बर, वनेड़ा आदि में कई स्थानों से मुंसफियां हटाई जा रही हैं और उन मुंसफियों को ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहां कि न्याय पाने के लिए लोगों को ६०-७० मील दूर जाना पड़ता है । ग्रामीणों को सहुलियत से न्याय सुलभ नहीं हो रहा है । मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा होता तो कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती । इस प्रश्न को हमें अच्छी तरह से देखना है ।

अब जो इसके साथ प्रश्न उत्पन्न हुआ है वह यह है कि सब-डिविजन के हैडक्वार्टर पर एस० डी० ओ० को जो अधिकार मेजिस्टीरियल ज्युरिसडिक्शन के मिले हैं उनसे लोगों की परेशानियां बढी हैं । वे अगर उनसे अलग कर दिये जायं तो वह एडमिनिस्ट्रेशन की ओर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे; वह अपना कार्य पूरी तरह से करने लगेंगे । आजकल फेमिन है तो उन मुकद्दमों की वजह से एस० डी० ओ० उसका कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं; जैसा कि उन्हें करना चाहिए । इस दृष्टिकोण से हमें देखना है कि जिस अधिकारी के पास मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं वह स्वतंत्र हो, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं हो; ताकि लोगों की परेशानियां कम हो । क्योंकि महिनों तक मुकदमों की पेशियों के लिए आते हैं तो पता लगता है कि एस० डी० ओ० साहब चले गये हैं । कई मीटिंगें आजकल होती रहती हैं, कभी क्या होता है, और वह मुकदमें नहीं सुने जाते हैं । इस दृष्टि से देखते हुए, जनता के कष्ट को देखते हुए हमें सोचना पड़ेगा, इस सदन को सोचना है कि यह जो तरीका है वह ठीक है या पुराने राजस्थान में जो तरीका था वह ठीक था। मेरा यह निश्चित कहना है कि इनको एक्जीक्युटिव से अलग कर दिया जाय; लेकिन मैं इतना अवश्य अर्ज करूंगा कि एक तरीका ऐसा है जो बिना खर्चे

का है । वह सुझाव में इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि हमारे पुराने राजस्थान में था कि मुन्सफियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकार दे दिए थे, मुन्सफियों को मजिस्ट्रेरियल पावर दे दिए थे; तो यह कठिनाइयां एकदम समाप्त हो सकती है और अधिक खर्चे की आवश्यकता नहीं होती । न कोई प्रश्न उठ सकता है उनके ज्युरिसडिक्शन के बारे में कि उनका डिसिप्लिन कौन मेनटेन करे और उनके ऊपर अधिकारी कौन रहेगा ? इसके बारे में में अर्ज करूं कि विधान में जो लिखा है वही होना चाहिए कि ज्युडिशियरी बिलकुल ही एग्जिक्युटिव से स्वतंत्र हो, लेकिन टाइमबीइंग के लिए अगर अभी की परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं किया जा सकता है तो यह ठीक है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट एग्जिक्युटिव के मातहत हो सकती है और मुन्सिफ कोर्ट हाई कोर्ट के मातहत हो सकती है । यह एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है । तो इस चीज के लिये, माननीय न्याय मंत्री महोदय से, में चाहूंगा कि वे स्पष्टीकरण करें ।

तीसरे कटौती प्रस्ताव उसके बारे में अर्ज करूं कि पुरानी जितनी छोटी बड़ी रियासतें थीं उनके बहुत से हाई कोर्ट थे, और वहां के लोगों को अच्छा से अच्छा न्याय मिलता था । में यह मानता हूं कि राजस्थान निर्माण के बाद यह नहीं हो सकता कि हर जगह हाई कोर्ट हो; लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि हाई कोर्टों का इंटिग्रेशन हुआ और हाई कोर्ट को जोधपुर रखने का सिद्धांत बनाया गया तो उदयपुर वाले और दूसरे डिविजन के रहने वाले जो हैं उनको इस बात का दुख जरूर हुआ कि जोधपुर में हाई कोर्ट रखी गई और जयपुर में उसकी एक बेन्च रखी गई । में अर्ज करना चाहता हूं, इस सदन में, माननीय सदस्यों से कि उदयपुर ने क्या बिगाड़ा था, बीकानेर ने क्या बिगाड़ा था, कोटा ने क्या बिगाड़ा था ? हरएक कमिश्नर के डिविजनल हैड क्वार्टर जो थे उन पर कम से कम एक एक बेन्च रखी जाती तो जनता की सुविधा के लिए और उनके फायदे के लिए और सरकार का खर्चा कम करने के लिए एक सर्कट कोर्ट होती, जहां २–३ महीने के अन्दर वहां जजेज जाते और उनके मुकदमे वगैरह जो होते, वे सुनते । मेरा ख्याल है, मुझे आशा है कि माननीय मित्र जो विरोधी दल के उपनेता हैं उनको मेरे इस प्रस्ताव से सहानुभूति नहीं होगी लेकिन में आशा करता हूं कि उनसे जनता की भलाई के लिए, उनको न्याय सस्ता और सुलभ मिलने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि कम से कम तीनों डिविजन के हैड क्वार्टर पर एक सर्कट कोर्ट अवश्य ही कायम करने का समर्थन करेंगे ।

श्री श्यामलाल गोयल: - माननीय अध्यक्षजी, में अपने कटौती प्रस्ताव नम्बर ५ पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो राजस्थान सरकार की पॉलिसी है उसके मुवाफिक मुन्सिफ कोर्टट्स, और मजिस्ट्रेस् कोर्ट अलग अलग कर दिये गये हैं और इस पॉलिसी से अक्सर यह देखा गया है कि मुन्सिफी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स कायम किये गये हैं उनमें पर्याप्त काम नहीं होता । मेरे ख्याल से राजस्थान में ९, १० जगह ऐसी हैं जहां पर काम की कमी होने से मुन्सफी को कम कर दिया है । हटाये तो नहीं गये हैं वहां के काम बन्द कर दिये गये । वहां के दफ्तर में यह

काम रह गया है कि कागज वगैरह जो पेश हों उनको इकट्ठा कर हाई कोर्ट को इत्तला दी जाय, फिर उसकी सुनवाई हो । यह ऐसा हो रहा है जिससे सहज में समझा जा सकता है कि पब्लिक को कितना भारी नुकसान हो रहा है ।

इस तरह से लिटिगेन्ट पब्लिक के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं यह अर्ज करूंगा कि वहां पर हिन्डौन और सवाई माधोपुर दो ऐसी जगहें हैं कि जहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं । हिन्डौन में मुन्सफी काम कर रही है, जहां तक मुझे मालूम है किन्तु वहां इतना ज्यादा काम नहीं। मैं यह सुझाव पेश करना चाहता हूं कि हिन्डौन मुन्सिफ १० रोज हिन्डौन में, १० रोज गंगापुर में, सवाई माधोपुर में एक महीना काम करे; बाकी दिनों में अपने ज्युरिस्डिक्शन में रहे इससे सरकार के खर्चे में भी बचत हो सकती है और लिटिगेन्ट पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है वह भी दूर हो जायगी । मैं समझता हूं ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी हैडक्वार्टरों में मुन्सिफ के रहने के लिए मकान मौजूद हैं। इससे ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल में यह है कि जो एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट कायम किये गये हैं वे हाई कोर्ट के मातहत नहीं है ताहम एक्जीक्युटिव से इन्डीपेंडेन्ट कहा जा सकता है उनके फैसला जुडीशियरी में होता है इस बात का हम ख्याल रखते हैं। मुन्सफी और मजिस्ट्रेसी दोनों मिलकर एक कर दिये जायं। गवर्नमेन्ट को इस नीति को अपनाने से काफी खर्चे में बचत हो सकती है। सवाई माधोपुर जिले के लिये मैं कह सकता हूं कि एक कोर्ट कम हो जाय। मसलन हिन्डौन एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी अलग है, सवाई माधोपुर में एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी अलग है और गंगानगर में सिर्फ मुन्सफी है। तीनों जगह अगर मुन्सफी मजिस्ट्रेटी कायम की जाय तो दो किस्म का खर्चा आसानी से बच सकता है । काम इतना नहीं कि ये दोनों अदालतें बराबर चालू रहें । इसमें जुडिशियरी एक्जीक्युटिव से सेपरेशन का जो सवाल है इससे कोई कुठाराघात नहीं होगा। मुन्सफी मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के मातहत रखे जा सकते हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं । सेन्ट्रल कोर्ट्स कम कर दिये जांय; ताकि लिटिगेन्ट पब्लिक को तकलीफ न हो ।

श्री कानसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मेंबर का जुडिशियरी को एक्जीक्युटिव से अलग रखने के बारे में हैं। वास्तव में जैसा कि विरोधी दल के उपनेता ने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया कि पहले जोधपुर डिविजन में न्याय विभाग इन्तजाम से अलग था। इस प्रकार मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीकानेर डिविजन में हाईकोर्ट की स्थापना १९२३ में हो गई थी और जुडिशियरी का एक्जीक्युटिव से सेपरेशन १९३४ में हो गया था। तो करीब १५ साल तक न्याय का महकमा इन्तजाम के महकमे से बिल्कुल अलग बीकानेर डिविजन में काम करता रहा । और जिस राजस्थान का एकीकरण किया गया उस वक्त भी अलग अलग थे। अब एकीकरण होने के बाद सरकार ने शायद किसी खास वजह से यह जरूरत पैदा हुई कि महकमा न्याय

और महकमा इन्तजाम को वापिस एक कर दिया जाय। और इस नीति के अनुसार ये दोनों महकमे वापिस मिला दिये गये। लेकिन उस वक्त सरकार को यह करना था; सरकार को ऐसा करने की जरूरत थी। उस समय सरकार के सामने चुनाव थे; उसी गरज से दो से एक बना दिये थे। अब वह समय बीत गया है। अब कम से कम, जो जो बातें इस सिलसिले में इन महकमों को एक करने में चुनाव के समय देखनी पड़ी लेकिन हमेशां के लिये परमानेन्ट तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं एक कान्क्रीट उदाहरण इस संबंध में देता हूं जो चुनाव से संबंधित है। एक मेजिस्ट्रेट साहब जो डीडवाना में तशरीफ रखते थे उनका तबादला बीकानेर किया गया। वे बीकानेर में तशरीफ लाये और वहां के एस.डी.ओ. से कहा कि चार्ज दीजिये। वह एस.डी.ओ. कैसे चार्ज देता?

माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्य विषय के बाहर जा रहे हैं।

श्री कानसिंह:- मैं सरकार के दोष बता रहा हूं कि एग्जीक्युटिव और ज्युडिशियरी को शामिल रखने में क्या क्या खामियें हैं? तो उस चीज का रातो-रात इन्तजाम हुआ। रातो-रात टेलीफोन द्वारा ट्रान्सफर केंसिल करवाई गई और जो साहब डीडवाना से तबदील होकर आये थे उन्हें कहा गया कि आप सरप्लस हो गये हैं और फिर उनके लिये दुबारा हुक्म आया। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्तजाम और न्याय के शामिल रहने से जो इधर उधर तबदीलियें की जाती है वे किसी खास मकसद को मद्देनजर रखकर नहीं की जाती हैं ऐसे उदाहरण बहुत हैं इसलिये मेरा कहना है कि इसके गुण और अवगुण जुडिशियरी को सेपरेट न करने के उदाहरण हैं। अमेरिका, इंगलेंड और फ्रांस में सबने मान लिया है कि ज्युडिशियरी और एग्जीक्युटिव अलग अलग रहनी चाहिये। तभी जनता को न्याय मिल सकता है बल्कि ब्रिटेन के लिये यह कहा जाता है कि वहां की जस्टिस मशहूर है। इसलिये हमारे देश में ये न्याय के विभाग और इन्तजाम के विभाग अलग अलग कर दिये जांय ताकि हमको भी फख्र हो सके कि ब्रिटेन के समान इन्डियन जस्टिस के बारे में भी हम कह सकें। इसलिये में अर्ज करूंगा कि इस मामले में ध्यान से गौर करें।

दूसरा प्रश्न है कि हाई कोर्ट की बेंचेज एक जोधपुर और एक जयपुर में हैं। उनके मुतल्लिक में अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हाई कोर्ट जोधपुर में रखा जाय। एक बेंच जयपुर में कायम की गई है तो कोई वजह नहीं है कि उदयपुर या कोटा या बीकानेर में भी इसी तरह की बेंचेज कायम नहीं की जाय। बीकानेर में सबसे पुराना हाई कोर्ट था जिसकी बडी अच्छी लाईब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी की पुस्तकें जोधपुर हाई कोर्ट में मंगाली गई हैं और हम लोग उन किताबों से महरूम रह गये हैं। यही नहीं कुर्सियें और आलमारियें तक मंगाली गई हैं। रियाया के सुख और दुख की और अगर आप ध्यान देते हैं तो यह जरूरी है कि हरेक मुल्क के रहने वाले नागरिकों को न्याय की सहूलियतें देनी चाहिये ताकि उन्हें सस्ता और जल्दी न्याय मिल सके। जो सुविधाएं जयपुर को दी गई हैं उनके लिये कोई वजूहात नहीं हैं कि वे दूसरों को क्यों नहीं दी जावे। यदि यह सुविधा नहीं है तो जोधपुर में ही हाई कोर्ट रहने दिया जाय

और जयपुर की बैंच उठा दी जाय। इससे कम से कम सरकार को यह कहने की गुंजायश तो रहेगी कि हमें एक ही स्थान पर हाई कोर्ट रखना है; नहीं तो जैसी कि एक कहावत है "आप गुरूजी बेंगण खावे दूजों ने परमोद दिखावे" के अनुसार यह कार्य होगा कि जयपुर को इतनी सुविधायें देदी गई हैं, बड़े बड़े हेड ओफ डिपार्टमेन्ट के दफ्तर, सेक्रेटेरियट आदि यहां हो गए है और जोधपुर आदि दूसरे स्थानों को बिल्कुल महरूम रखा गया है। यह न्याय संगत नहीं है। आशा है इस पर सरकार गौर फरमाकर आगे कदम उठायेगी

श्री अवनिकुमारः-अध्यक्ष महोदय, अभी हाउस के सामने जो चर्चा चल रही है उस सम्बन्ध में दो चार बातें मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। हाउस के सामने पहला सवाल यह है कि जुडिशियरी ओर एग्जीक्युटिव को सेपरेट कर देना चाहिये और दूसरा सवाल यह है कि सरकिट कोर्ट स्थापित करनी चाहिये। जहां तक पहले सवाल का संबंध है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार भी इस बात का समर्थन करती है कि इन दोनों को अलग किया जाय इसलिये मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि वह जल्दी से जल्दी हाउस के सामने इस संबंध में एक कानून रखे जिससे हाउस को यह पता लगे कि कितने दिनों में इन दोनों सीगों को सेपरेट कर दिया जायगा।

सरकिट कोर्ट के संबंध में यह महसूस करते हैं कि सरकिट कोर्ट न होने से वहां के लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है इसलिये उन लोगों की कठिनाइयों का ख्याल रखते हुए सरकिट कोर्ट कायम होने चाहिये। बस इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः-अध्यक्ष महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव में जिस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और इस विषय में सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा अहम है। यह विषय वैसे तो कोई नया नहीं है, करीब २० साल से जब से मैंने वकालात शुरू की तब से इसके बारे में बराबर सुनते चले आ रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुराना होने के कारण इसमें कोई बढ़प्पन नहीं है या कोई महत्व नहीं है। मेरी खुद की मान्यता यह है कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्युटिव और ज्युडिशियरी जिनका कि काम क्रमशः कानून बनाना, उसको अमल में लाना और यह देखना कि कानून का अमल सही तौर से हो रहा है या नहीं, इनके बारे में पूरा ध्यान दें। इन सबमें जुडिशियरी और भी महत्वशाली है। ज्युडिशियरी के किसी भी कार्य में देरी होने से या सही रूप में अमल में नहीं आने से प्रजा को वाकई मायने में बहुत बड़ा जान का और सम्पत्ति का खतरा हो सकता है। दूसरा, मेरे विचार से इस मामले में इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री इन्द्रनाथजी मोदी से कई अंश में मिलते हैं। मेरा तो यह मानना है कि किसी राज्य का कितना ही राजनैतिक विकास हुआ है किन्तु इसकी कसौटी यदि कोई है तो वह यह है कि उस राज्य में न्याय और शासन के कार्यों में कितना पृथक्करण हुआ है? पुराने राज्यों के प्रारंभिक काल में एक ही व्यक्ति कानून बनाने वाला और उस पर अमल करने वाला और एक ही व्यक्ति यह देखने वाला होता था कि अमल ठीक रूप से

हो रहा है या नहीं । लेकिन जब विकास हो जाता है तब ये अलग अलग हो जाते हैं; जैसा कि आपने सुना कि इंग्लेंड में ये कार्य अलग अलग रूप में होते हैं । वहां कि जुडिशियरी को, जब तक पार्लियामेन्ट के दोनों हाउसों को एड्रेस एक साथ नहीं किया जाता जब तक शामिल नहीं कर सकते । इसी तरह का अमेरिका में जुडिशियरी का हाल है । भारत के संविधान में जो स्थान जुडिशियरी को दिया है वह संसार के और देशों से कम नहीं है । जितना ऊंचा स्थान दिया जा सकता है उतना ही ऊंचा स्थान भारत में न्यायालयों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को दिया गया है । जब तक प्रेसिडेन्ट की अनुमति और दोनों हाउस को एड्रेस न होकर दूसरा रेजोल्युशन पास नहीं हो, नहीं उठाया जा सकता न उसके पैसे, वेतन और खर्चे भत्ते, में कमी–बेशी की जा सकती है जब तक कोई खास वजह नहीं हो । कहने का मेरा मतलब यह है कि वे यह नहीं समझें कि भारत में जुडिशियरी, न्याय का स्थान किसी दूसरे देशों से कम है । अमेरिका आदि में जिस तरह से जुडिशियरी है वैसी ही सुविधा भारत में भी जुडिशियरी का है । राजस्थान में जैसा कि कई मित्रों को मालूम होगा और मेरा खुद का अनुभव है कि जयपुर में राजस्थान का एकीकरण होने से पहले जोधपुर, बीकानेर आदि में, जैसा कि बताया गया है, अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरीके से जुडिशियरी अपना अन्जाम दिया करती थी और एक का संबन्ध दूसरे से नहीं था । मैं यह कह सकता हूं कि मूल रूप में इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि राजस्थान सरकार इस तरफ जितना जल्दी कदम उठा सकती है, उठाएगी । इसके साथ प्रश्न यह भी है कि वह कार्य किस रूप में हो, किस तरह से हो, कौनसी स्टेज पर हो, आया कार्य को अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में किया जावे; ये चीजें ऐसी नहीं हैं जिन पर निर्णय किया जा सकता है । मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह विषय शासन और न्याय के पृथक्करण का राजस्थान सरकार के विचाराधीन है । मैंने खुद ने इसमें दिलचस्पी ली है । मैंने इस संबन्ध में प्रमुख न्यायाधीश से बातचीत की और उसके फलस्वरूप लॉ सेक्रेट्री को इस संबन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिये सूचना दी है कि इसके साथ साथ राजस्थान हाई कोर्ट को शामिल करें और इस प्रश्न की पूरी तरह जांच करें कि इसको किस तरह से अमल में लाया जावे और इसके लिये क्या क्या कदम उठाये जावें; जिससे कि यह अमल में लाया जा सकता है ।

इसके फलस्वरूप मद्रास, यू.पी., बिहार, बम्बई में, जिन प्रान्तों में इसका अनुभव किया गया है और जहां कहीं अमल में आ रहे हैं वहां की योजनाएं मंगाई जा रही हैं । यू.पी. और मद्रास से जो योजनाएं मंगाई थीं व मिल चुकी हैं । इस पर जल्दी ही पूरे तौर पर विचार किया जावेगा । मैं हाउस के सामने निवेदन कर देता हूं कि राजस्थान सरकार इस प्रश्न पर पूरी तरह से विचार कर इसे कार्यरूप में परिणत करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी ।

एक एतराज सर्कट कोर्ट के बारे में मुझे है और इस संबन्ध में मैं दो चार शब्द अर्ज करना चाहता हूं । राजस्थान हाई कोर्ट ओर्डिनेन्स १९४९ में सरकट कोर्ट को जारी रखने के मुतल्लिक नहीं लिखा है और जब तक इस नियम में परिवर्तन नहीं हो जाता सरकट कोर्ट कायम नहीं किये जा सकते ।

श्री अविनकुमारः--क्या इसके लिये कोई कदम उठाया जावेगा ।

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः--हां ,इस तरह के ऑर्डिनेन्स सरकार के विचाराधीन हैं ।

दूसरी बात कहने की यह थी कि अगर आप भारत के और प्रान्तों पर नजर डालें तो आपको सरकट कोर्ट की मिसालें सिवाय दो जगह के और कहीं नहीं मिलेगी। एक तो दिल्ली में और दूसरी मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार यहां जयपुर ब्रांच है उसी प्रकार मध्य प्रदेश में एक ब्रान्च इन्दौर में है। मगर हमारे यहां ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर, उदयपुर और कोटा में होनी चाहिये । तीन जगह हाई कोर्ट की शाखाएं में आपसे निवेदन करूंगा कि कहीं नहीं मिलेगी । ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो दो जगह मिलेगी और वह भी केवल यू. पी. में । अवध में जो शाखा है उसको उठाई जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा आपको भारत के किसी भी प्रान्त में दो जगह से ज्यादा नहीं शाखायें मिलेंगी और वह किफायतशाली भी नहीं होगी। यह मैं मानता हूं कि इसमें लोगों को असुविधा है क्योंकि हमारे यहां आवागमन के साधन सुगम नहीं हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मद्रास जैसे बड़े प्रान्त में एक ही हाई कोर्ट है और सब जगह के लोगों को वहां जाना पड़ता है। बावजूद इन दिक्कतों के हमने एक हाई कोर्ट न बनाई है। इस लिये मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकट कोर्ट की बात पर फिल हाल अमल किया जाना संभव दिखाई नहीं पड़ता ।

दूसरी बात मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की है। इस संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि अगर राजस्थान सरकार इसको मंजूर कर लेती है, शासन और न्याय के प्रतिकोण को मंजूर कर लेती है तो उसमें मुनसिफों को मजिस्ट्रेट के पोवर्स दे सकती है। जब हाई कोर्ट के और सेशन के जजेज क्रिमिनल और सिविल पोवर्स काम में ला सकते हैं तो फिर उनको भी पोवर्स मिल सकते हैं । मगर जिस समय मुनसिफों को फौजदारी अख्तयारात दिये जावेंगे उस वक्त इस पर विचार किया जावेगा। इस स्पष्टिकरण के बाद जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनको उचित समझें तो वे वापिस ले लें ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः- माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव संख्या १ मैं वापिस लेना चाहता हूं। इसलिये मुझे आज्ञा प्रदान की जावे क्योंकि जो आश्वासन दिया गया है उससे मुझे काफी संतोष है । मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में रचनात्मक कार्यवाही शीघ्रातिशिघ्र की जावेगी ।

माननीय अध्यक्षः--सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री इन्द्रनाथ मोदी ने जो कटौती प्रस्ताव नम्बर १ रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा दी जाए ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–मैं हाउस की आज्ञा से अपना कट मोशन नम्बर १ वापिस लेता हूं।

श्री सोहनलाल:–माननीय अध्यक्ष, चूंकि न्याय मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है इसलिये मैं अपना प्रस्ताव, संख्या २, वापिस लेना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:–सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री सोहनलालजी ने जो निम्नलिखित कट मोशन प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए:–

"That the demand under the head 'Administration of Justice' be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Government for not combining the Magistrate's courts with that of Munsifs.)"

(स्वीकृति प्रदान की गई)

श्री सोहनलाल:–मैं हाउस की आज्ञा से अपना प्रस्ताव, संख्या २, वापिस लेता हूं।

श्री सोहनलाल:–माननीय अध्यक्ष, मैं अपना प्रस्ताव, संख्या ३, वापिस लेना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:–सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री सोहनलालजी ने जो निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए:–

"That the demand under the head 'Administration of Justice' be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Government for not providing Circuit Courts of the High Court at the Commissioner's head quarters of Udaipur, Bikaner & Kotah)."

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री सोहनलाल:–मैं हाउस की आज्ञा से अपना प्रस्ताव, संख्या ३, वापिस लेता हूं।

श्री श्यामलाल:–माननीय अध्यक्ष, मैं अपना प्रस्ताव, संख्या ५, वापिस लेना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:–सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री श्यामलालजी ने जो निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए:–

"That the demand under the head 'Administration of Justice' be reduced by Rs. 1/- (to discuss the circuit Munsif Courts, Circuit Munsif Magistrate Courts)."

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री श्यामलाल गोयल:—मैं हाउस की आज्ञा से अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—श्री कपिलदेव,

एक माननीय सदस्य:—परहेप्स इज एब्सेंट

श्री कपिलदेव:—नो सर, आई एम प्रेजेन्ट। मैं अपना कटमोशन नं० ४ वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री कपिलदेवजी ने जो निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे:—

"That the demand under the Head Administration of Justice be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Government in not separating the executive from the Judiciary."

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री कपिलदेव:—मैं अपना कट मोशन नं० ४ वापिस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 26,41,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XI Major Head 27 Administration of Justice.

(प्रस्ताव स्वीकृत)

माननीय अध्यक्ष:—मैं यह घोषणा करता हूं कि इस सदन का प्रोग्राम २२ ता० तक के लिए बढ़ा दिया गया है और अब कल ८॥ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक बृहस्पतिवार, तारीख १७-४-५२ के ८॥ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव, विधान सभा,
राजस्थान

जयपुर,
दिनांक १६ अप्रेल, सन् १९५२ ई०